अनुभाग 5

विचारार्थ विषय

भाग I

कार्य का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

1. पृष्ठभूमि
2. कार्य का उद्देश्य/लक्ष्य
3. कार्य/नियुक्ति का विस्तृत कार्यक्षेत्र
4. प्रदेयताएं, प्रदेयताओं के चरण, प्रत्येक प्रदेयताओं की विषयवस्तु

सिटी सेनिटेशन रेटिंग एजेंसी की नियुक्ति के लिए विचारार्थ विषय

पृष्ठभूमि

भारत सरकार सभी भारतीय शहरों और कस्बों को स्वास्थ्यप्रद और रहने योग्य बनाने तथा अपने नागरिकों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति की घोषणा की है। इस नीति में यह समर्थन किया गया है कि सभी शहर खुले में शौच करने से मुक्त होंगें, सभी मानवीय अपशिष्टों तथा द्रव अपशिष्टों को एकत्र किया जाएगा तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षित समाशोधित और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है अत: राज्य को ऐसी राज्य स्वच्छता कार्यनीति तैयार करनी पड़ेगी जो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने विजन को स्पष्ट करें। स्वच्छता हेतु उत्तरदायी शहरों को शहर की स्वच्छता योजना, कार्यान्वयन और अवसंरचनात्मक सुविधाएं अनुरक्षित करनी होंगी।

कार्य का उद्देश्य/लक्ष्य

शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन का पता लगाने के लिए भारत सरकार की मंशा शहरों के लिए वार्षिक पुरस्कार योजना शुरू करने की है। यह पुरस्कार इस आधार पर आधारित है कि उन्नत जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मानक ऐसे दो निष्कर्ष हैं जिन्हें शहरों को शहरी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पता लगाना चाहिए। प्रस्तावित पुरस्कार न केवल शहरी स्वच्छता पर हुए व्यय अथवा हार्डवेयर का मूल्यांकन है अपितु इस बात का भी द्योतक है कि यह सतत् आधार पर शहर के अपशिष्ट पदार्थों का शत-प्रतिशत सुरक्षित निपटान करने के शत-प्रतिशत सफलता हासिल करने में कैसे सहायक सिद्ध हुआ है।

शहरों को शहरी स्वच्छता के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन देने की एक भूमिका के रूप में शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव राष्ट्रीय रूप से श्रेणी 1 के शहरों की श्रेणी निर्धारित करने तथा इसके परिणामों को प्रकाशित करने का है। ऐसी आशा है कि इस श्रेणीकरण से शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना बढेगी और स्वच्छता में उन्नयन हेतु एक ट्रिगर की भांति कार्य करेगा।

इस समनुदेशन का प्रयोजन निम्नलिखित है :

1. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कार्य पद्धति के आधार पर सूचकों का मूल्यांकन करने हेतु फील्ड मूल्यांकन पैम्फलेट/प्रपत्र तैयार करना।
2. श्रेणी-1 के सभी शहरों में डाटा-संग्रहण सर्वेक्षण आयोजित करना।

3. सूचकों के सेट तैयार करने के लिए स्कोर के आधार पर शहरों की श्रेणी निर्धारित करना और विश्लेषण करना।
4. प्रक्रिया, दृष्टिकोण, डाटा विश्लेषण तथा सिफारिशों की रूप रेखा बनाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।
5. सर्वेक्षण, डाटा विश्लेषण और निष्कर्ष का प्रस्तुतीकरण।

कार्य/नियुक्ति का विस्तृत कार्यक्षेत्र

शहरी विकास मंत्रालय ने आउटपुट, प्रक्रिया और परिणामी सूचकों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल शहर में मौजूदा स्वास्थ्यकर स्थितियों के मूल्यांकन में किया जाएगा। सूचकों की प्रस्तावित सूची खुले में शौच करने की प्रथा, स्वच्छता की उपलब्धता (व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक), ठोस और तरल अपशिष्ट के संग्रहण, शोधन और निपटान, स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के उचित रख-रखाव व अनुरक्षण, स्पष्ट सांस्थानिक भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण में उन्नयन (सीएफ अनुलग्नक 1) से संबंधित है। वैकल्पित: मोटे तौर पर इन्हें आउटपुट, प्रक्रिया और परिणाम से संबद्ध सूचकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुल 19 सूचकों का ब्यौरा तैयार किया गया है जिसमें से नौ (9) आउटपुट संबंधी, सात (7) प्रक्रिया संबंधी तथा तीन (3) परिणाम संबंधी है।

शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों से परामर्श करके सूचकों के लिए प्रस्तावित भारिता (वेटेज) स्कोर को अंतिम रूप भी दिया है।

फर्स्ट राउंड की रेटिंग के लिए एक मानकीकृत कार्यविधि तैयार की गई है जिसका इस्तेमाल शहरों की रेटिंग (श्रेणी निर्धारण) के लिए सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यह कार्यविधि अनुलग्नक-2 में संलग्न है। बोलीदाता सर्वेक्षण एजेंसियों को विकासित मानक कार्यविधि अंगीकार करने तथा तैयार करने होंगें।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए शहरी विकास मंत्रालय श्रेणी-1 के शहरों की मौजूदा शहरी स्वच्छता तथा समय के साथ-साथ उनके उन्नयन के संबंध में सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा श्रेणी निर्धारित करने हेतु चयन की गई फर्मों से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करता है। शहरी विकास मंत्रालय की योजना सभी 5,161 शहरी केंद्रों को कवर करने के लिए इसकी रेटिंग की धीरे-धीरे विस्तार करने की योजना है। शहरी विकास मंत्रालय की योजना सर्वेक्षण के परिणामों को प्रकाशित करने की है और ऐसी आशा है कि रेटिंग से न केवल शहरों को स्वच्छता हेतु अधिकाधिक प्राथमिकता देने में बढावा मिलेगा अपितु इसका इस्तेमाल शहरों द्वारा अपनी स्चव्छता संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए योजना बनाने और ठोस कार्रवाई कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाएगा।

पैकेजों का समूहीकरण तथा संख्या

यह प्रस्तावित है कि शहरों को पांच पैकेजों में वगीकृत किया जाएगा। पांच पैकेजों के अंतर्गत शहरों का सूचीबद्ध करने का ब्यौरा अनुलग्नक-3 में दिया गया है। फर्मों को अधिकतम दो पैकेजों की बोली की अनुमति दी जाएगी।

प्रदेयताओं का आउटपुट और अनुसूची

एजेंसी के आउटपुट में निम्नलिखित शामिल होगा :

1. अध्ययन के प्रयुक्त किए जाने हेतु एक विस्तृत जांच-सूची, प्रश्नावली और सर्वेक्षण संबंधी अन्य उपकरण।
2. डाटा संग्रहण के लिए कार्यविधि (प्रारूप स्प्रेडशीट और पैम्फलेट्स) तथा विस्तृत कार्य (डाटा संग्रहण, फील्ड विजिट, विश्लेषण, प्रारूप और अंतिम रिपोर्ट)-चालू होने के दो सप्ताहों के भीतर
3. फील्ड दौरे, डाटा संग्रहण और परिणामों का तालिकाबद्धकरण - चालू होने के तीन माह में
4. विस्तृत सूचक-वार समेकित स्कोर के साथ-साथ शहरों की रैंकिंग (पैकेज में) सर्वेक्षण,
5. विश्लेषण और सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट - चालू होने के पांचवें माह से।
6. सर्वेक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष की विस्तृत प्रस्तुति

अनुलग्नक 1

तालिका (क-1): शहरों में स्वच्छता के लिए निर्देशक वस्तुनिष्ठ रेटिंग चार्ट (प्रारूप)		
संख्या	**सूचक**	**बिन्दु***
1	**आउटपुट संबंधी**	**50**
क.	खुले में शौच नहीं करना - उप-योग	**16**
i.	शहरी गरीबों और अन्य अल्पसेवित घरों (मलिन बस्तियों सहित) की शौचालय तक पहुंच और इस्तेमाल - व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता सुविधा केन्द्र	**4**
ii.	फ्लोटिंग और सांस्थानिक जनसंख्या की शौचालय तक पहुंच और इस्तेमाल- पर्याप्त जन स्वच्छता सुविधा केन्द्र	**4**
iii.	खुले में शौच दृष्टिगोचर नहीं	**4**
iv.	सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करना और सफाई कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्कर प्रदान करना	**4**
ख.	सुरक्षित संग्रहित किया जाने वाला कुल मानव मल उत्पादन का अनुपात (100 प्रतिशत के लिए 6 बिन्दु)	**6**
ग.	शोधित और सुरक्षित निपटान किया गया कुल अपशिष्ट जल	**6**

तालिका (क-1): शहरों में स्वच्छता के लिए निर्देशक वस्तुनिष्ठ रेटिंग चार्ट (प्रारूप)		
संख्या	**सूचक**	**बिन्दु***
	उत्पादन का अनुपात (100 प्रतिशत के लिए 6 बिन्दु)	
घ.	शोधित और सुरक्षित निपटान किया गया गंदा अपशिष्ट जल उत्पादन का अनुपात (100 प्रतिशत के लिए 3 बिन्दु)	3
ङ.	गैर-पीने योग्य हेतु रिसाइक्लिंग और पुन: प्रयुक्त शोधित अपशिष्ट जल का अनुपात	3
च.	प्रभावी रूप से और सुरक्षित रूप से शोधित कुल स्टार्च जल और जल निकासी का अनुपात (100 प्रतिशत के लिए 3 बिन्दु)	3
छ.	नियमित रूप से संग्रहित कुल ठोस अपशिष्ट उत्पाद का अनुपात (100 प्रतिशत के लिए 4 बिन्दु)	4
ज.	शोधित और सुरक्षित निपटान का कुल ठोस अपशिष्ट उत्पाद का अनुपात (100 प्रतिशत के लिए 4 बिन्दु)	4
झ.	शहर का पानी शहर की सीमाओं के बाहर किसी भी क्षेत्र पर और इसके आस-पास कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है (100 प्रतिशत के लिए 5 बिन्दु)	5
2.	**प्रक्रिया - संबंधी****	30
क.	खुले में शौच के दृष्टांतों का पता लगाने के लिए एम एंड ई प्रणाली विद्यमान है	4
ख.	शहर में सभी सीवरेज प्रणाली सही ढंग से काम कर रहे हैं और एक्स-फिल्ट्रेशेन वहीं है। (सीवरेज प्रणाली रहित शहरों पर लागू नहीं)	5
ग.	शहर में ऑन-साइट प्रणाली से सेप्टेज/स्लज को नियमित रूप से साफ किया जाता है, सुरक्षित रूप से ढोया जाता है तथा शोधन के उपरांत निपटान किया जाता है (सीवरेज प्रणाली रहित शहरों के लिए अधिकतम 10 अंक)	
घ.	भूमिगत और सतही ड्रेनेज प्रणाली कार्यरत है और भली-भांति अनुरक्षित है।	5
ङ.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संग्रहण और उपचार) प्रणाली प्रभावोत्पादक है (और ये एसडब्ल्यू नियम, 2000 के अनुकूल हैं)	4
च.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संग्रहण और शोधन) प्रणालियां प्रभावी हैं (और ये एमएसडब्ल्यू नियम, 2000 के अनुरूप हैं)	5
छ.	स्पष्ट तौर पर संस्थागत जिम्मेदारी सौंपी गयी है; और ये	4

तालिका (क-1): शहरों में स्वच्छता के लिए निर्देशक वस्तुनिष्ठ रेटिंग चार्ट (प्रारूप)		
संख्या	**सूचक**	**बिन्दु***
	उपर्युक्तु ख), (ग) से (ड.) हेतु अभ्यास में प्रलेखित प्रचालन प्रणालियां हैं	
	प्रदूषकों और संस्थानों की ओर से विचलन संबंधी स्वीकृतियां स्पष्टतापूर्वक निर्धारित हैं और व्यवहार में इनका अनुसरण होता है।	3
3.	**परिणामी संबंधी**	20
क.	आधार रेखा की तुलना में शहर में पेयजल की गुणवत्ता	
ख.	आधार रेखा की तुलना में शहर में पेय जल की गुणवत्ता	
ग.	आधार रेखा की तुलना में जल-जनित रोग घटना में कमी	

* उपर्युक्त सूचकों के लिए चिह्नों को हर दो से तीन वर्षों में संशोधित किया जाएगा। इसी दौरान और ज्यादा कड़ी स्थितियों उदाहरणार्थ मूत्र नहीं करना, अथवा सड़क/सार्वजनिक स्थानों पर थूकना इत्यादि के बारे में सूचकों को सूचक के रूप में शुरू किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी और विशेष सूचक को दिये गए मान को भी संशोधित किया जाएगा।

** इस संदर्भ में बड़े शहर ऐसी अच्छी प्रथा वाली प्रणालियां स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं जो आईएमओ (अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन) और/अथवा बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) की प्रक्रिया प्रणालियों के अनुरूप हों।

अनुलग्नक 2 - कार्यविधि

शहरों की स्वच्छता संबंधी रेटिंग की विस्तृत कार्यविधि

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रस्ताव कमीशन एजेंसियों को चयन की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नियुक्त किया जाए ताकि भारत के श्रेणी-1 के 436 शहरों के लिए स्वच्छता संबंधी रेटिंग कवायद पूरी की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोलीदाता मानक आउटपुट प्रदान करने के लिए बोली लगाएं और तुलना के लिए ये सभी शहरों में एक-समान रूप से प्रशासित हों, यह आवश्यक है कि एक ऐसी कार्यविधि निर्धारित की जाए जो मानक कदम निर्धारित करती हो, डाटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करती हो और एक ऐसी सतत कार्यविधि का प्रयोग करती हो जो चयन की गई एजेंसियों से प्रस्ताव-अनुरोध (आरएफपी) का भाग हों। यह ऐसा मूल फ्रेमवर्क बन जाएगा जो एजेंसी की रेटिंग संबंधी कवायदों का मार्गदर्शन करेगा और रेटिंग कवायद के भाग के रूप में हासिल किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करेगा।

I सूचकों की तीन श्रेणियां

अनुलग्नक 1 में तालिका (क-1) में यथाप्रदर्शित, रेटिंग संबंधी कवायद में सूचकों की तीन श्रेणियां होंगी:-

1. <u>आउटपुट सूचकः</u> उस शहर से संबंधित है जिसने व्यवहारिक संदर्भों और प्रावधान से लेकर शहर के वातावरण को हानि पहुँचाए बिना सुरक्षित एकत्रीकरण, प्रबंधन और निपटान तक कुछ परिणाम अथवा स्वच्छता के विभिन्न आयामों में आउटपुट प्राप्त किया हो। *कुल 100 अंकों में से 50 अंक के नौ प्रमुख आउटपुट सूचक है।*

2. <u>प्रक्रिया से संबंधित:</u> सूचक प्रणाली और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं जो शहर की एजेंसियों द्वारा सतत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। *कुल 100 अंकों में से 30 अंक सात प्रमुख-प्रक्रिया सूचकों के लिए है।*

3. <u>परिणाम संबंधित:</u> सूचकों में पेयजल और शहरों के जल निकायों में जल की गुणवत्ता तथा निश्चित समयावधि में शहर में स्वच्छता संबंधी और जल संक्रामक रोगों में कमी से संबंधित है। *कुल 100 अंकों में से 20 अंक तीन प्रमुख परिणामी प्रक्रिया सूचकों के लिए है।*[1]

आदर्शत: उपर्युक्त आउटपुट के लिए प्रक्रियाओं और परिणाम को शहर के प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से एकत्र किए जाते है, किन्तु वर्तमान में बहुत कम शहरों में ही सर्वोत्तम

[1] आउटपुट, प्रक्रिया और परिणाम सूचक के लिए आंकड़े इस दौर की रेटिंग के लिए प्रमाणित है। बाद के वर्षों में शहरों की स्थिति में सुधार और आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता के साथ, आंकड़ों को परिणाम सूचकों के साथ शामिल किया जाएगा।

आंशिक आंकड़े उपलब्ध हैं। इस रेटिंग प्रक्रिया से सूचकों के नियमित आंकड़े एकत्रीकरण और मॉनीटरिंग की आवश्यकता पर विशेष बल देने में सहायता मिलेगी।

II आंकडा एकत्रीकरण के स्रोत और प्रक्रियाएं

चूंकि उपर्युक्त सूचकों के लिए आंकड़ों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है इसलिए सर्वेक्षण एजेंसी प्रकाशित जानकारी और शहरों की एजेंसियों के पास उपलब्ध अनुमानों के मिश्रण का उपयोग करेंगें कि वास्तविक आकलन करने तथा स्थानीय निवासियों से सीमित वार्तालाप करने के लिए क्षेत्रों के संक्षिप्त दौरों के माध्यम से आंकड़ों को प्रमाणित तथा उनकी पुन: जांच की जा सके।

1. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और/अथवा जल एवं जल प्रदान करने वाले स्वच्छता सुविधा केन्द्र, स्वच्छता, नालियां, अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालियां आदि आंकड़ों का एकत्रीकरण/रेटिंग के वर्तमान दौर के लिए यूएलबी/सुविधा केन्द्र आंकड़ों के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत होने की संभावना है।

क) शहर का कार्यशील मानचित्र:

सर्वेक्षण एजेंसी एकत्र करके शहर के उस मानचित्र का उपयोग करेंगें जो वे अपनी योजना और प्रचालन के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा मानचित्र शहर को विभिन्न क्षेत्रों को (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम मध्य आदि) में विभाजित करने का आधार प्रदान करेगा।

शहर के कार्यशील मानचित्र में निम्नलिखित विशेषताओं को भी चित्रित करना चाहिए:

- प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या सहित वार्ड की सीमाएं।
- शहर-भर में अधिसूचित और गैर-अधिसूचित स्थान।
- पुराने शहर तथा नए योजनाबद्ध और समीप के क्षेत्र, आवासीय, सरकारी/कार्यालय, वाणिज्यिक व्यापार जिले, मुख्य बाजार क्षेत्र, प्रमुख रेल और बस स्टेशन तथा शहर के अन्य प्रमुख प्राकृतिक और मानव-निर्मित आवासीय क्षेत्र का ध्यान।
- शहरी पर्यावरण सेवा अवसंरचना स्थान और प्रणालियां जिसमें जल शोधन संयंत्र, जल आपूर्ति वितरण लाइन, गंदे पानी का नेटवर्क, नालियां, सड़के, जल निकाय, ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण केन्द्र, स्थानांतरण स्टेशन/डिपो, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, ठोस जल निपटान स्थल, नदी अथवा नालियों और गंदे पानी के लिए भूमि में गढ्ढा आदि।

यदि उपर्युक्त विशेषताएं उपलब्ध नहीं है, तो मानचित्र में उपर्युक्त विशेषताओं का पता लगाने और क्षेत्र के दौरे के अध्ययन हेतु नमूना के रूप में स्थान का चयन करने के लिए यूएलबी विभाग/कार्मिक सर्वेक्षण एजेंसी की मदद करेगा। फर्म स्थल के चयन, जोनिंग आदि के लिए वास्तविक आंकड़ों सहित रेटिंग ऐजेंसियों की मदद करने एनएसएसओ सैम्पलिंग

फ्रेम का उपयोग करेंगे। यह वहां पर महत्वपूर्ण होगा विशेषत: जहां यूएलबी आंकड़ों में अंतराल अथवा मानचित्र आंशिक अथवा अशुद्ध हो।

<u>ख) मॉनक सूचक संबंधी आंकड़े</u>

आउटपुट से संबंधित आंकड़े (पूर्ण भाग में स्पष्ट) अर्थात शौचालय का पर्याप्त प्रावधान और उपयोग, खुले में शौच करने की स्थिति, हस्तचालित साफ-सफाई, मानव मल-मूत्र का सुरक्षित प्रबंधन और प्रतिपादन। पुन: प्रयोग, कूडा-करकट, नालियां और ठोस अपशिष्टों आदि को यूएलबी के साथ विचार-विमर्श में उपलब्ध मूलभूत आंकड़ों का उपयोग करते हुए एकत्र, गणना अथवा अनुमानित करने की आवश्यकता है। इन अनुमानों को क्षेत्र के अध्ययन द्वारा विधिवत बढ़ाया और समर्थ बनाया जाता है। (नीचे देखें)।

यूएलबी/जनोपयोगी सेवाओं की प्रक्रिया सूचकों दूसरे वर्ग के लिए अधिकतम आंकड़े होने की संभावना है। कुछ सूचकों के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को संगत एजेंसी से आंकड़े प्राप्त करने के लिए यूएलबी की मदद की आवश्यकता होगी।

कुछ आंकड़ें परिणामी सूचकों के तहत भी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि कुछ जनोपयोगी सेवाएं अथवा यूएलबी जल की गुणवत्ता की मॉनीटर कर सकते हैं। बड़े शहरों के मामले में, शहर स्वास्थ्य एजेंसी स्वच्छता और जल संबंधी रोगों के आंकड़ों के संरक्षक हो सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष जल गुणवत्ता के आंकड़ें होंगें जबकि शहर के अपशिष्ट जल उपचार सुविधा भी जल गुणवत्ता मानकों पर भी आंकड़ें प्रदान कर सकते हैं।

यह नोट किया जा सकता है कि (यदि नहीं, अधिकांश) यूएलबी/जनोपयोगी सेवाएं रेटिंग अभ्यास में शामिल सूचकों के लिए सुलभता से उपलब्ध आंकड़े नहीं होगें। तथापि अपने कार्मिक का अनुभव अथवा प्रतियुक्त सूचकों पर आंकड़े का उपयोग करते हुए उनके अशोधित अनुमानों को अपनाने अथवा "अनुमानित आकलनों" बनाने की संभावना है। अत: न सिर्फ यूएलबी/जनोपयोगी सुविधाओं से आंकड़े एकत्र करना ही आवश्यक होगा बल्कि किस प्रकार आंकड़ों को बनाया अथवा उनका विश्लेषण किया गया, को भी शामिल करने पर पर्याप्त ध्यान देना पड़ेगा (नीचे विचार-विमर्श किया गया) इसके साथ शीघ्र क्षेत्र के दौरे अध्ययन का उपयोग करते हुए ऐसे आंकड़ों (विशेषत: आंशिक अथवा पुराना) किस प्रकार मान्यता दे सकते है और यूएलबी तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श में शामिल कर सकते है।

2. <u>अन्य एजेंसियों अथवा प्राधिकरणों से आंकड़ों का एकत्रीकरण:</u> जो विशेष सूचकों को एकत्र करने और/अथवा मॉनीटर करने के लिए जवाबदेह है, उदाहरणार्थ प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों, नदी के जल की गुणवत्ता को एकत्र करने और आंकड़े एकत्र कर सकते हैं, शोधन के पश्चात् नदी के जल की गुणवत्ता, अतिसार रोगों पर आंकड़े स्वास्थ्य विभाग/एजेंसियां एकत्र कर

सकते है, नए भवनों अथवा विकास के लिए विकास एजेंसिया अनुमति प्रदान करने हेतु (इसके द्वारा घरों की स्वच्छता को मॉनीटर करना और निपटान के लिए व्यवस्था करना) सर्वेक्षण एजेंसी को ऐसे विशेष आंकड़ों को एकत्र करने के लिए इन एजेंसियों से संपर्क करने की आवश्यकता है।

3. <u>प्रकाशित स्रोत:</u>

भारत की जनगणना से घर के स्तर पर स्वच्छता प्रबंधों तक वार्ड-अनुसार घर तक पहुंच का ब्यौरा प्रदान करेगा लेकिन यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त आंकड़ों (पिछली जनगणना वर्ष 2001 में की गई थी) को अधिक नए सर्वेक्षणों के माध्यम से अद्यतित किया जाना चाहिए (उदाहरण अधिकांश राज्यों और शहरों ने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं की तैयारी के रूप में घरों/बीपीएल घरों के सर्वेक्षण हुए होंगें)। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों से 2001 के आंकड़ों को अद्यतन बनाना अगला उत्तम विकल्प है, उदाहरणार्थ वर्ष 2001 से बनाए गए शौचालयों की संख्या। एनएसएसओ और अन्य विशेष सर्वेक्षण, उदाहरणार्थ राष्ट्रीय परिवार स्वस्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) शहर-स्तर पर सूचकों को रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उक्त एजेंसी राज्य स्तर पर नमूनों पर अधिक ध्यान देती है। तथापि इन स्रोतों को संदर्भ के रूप में, विशेषत: व्यापकता को समझने के प्रयास करने हेतु उपयोगी साबित होगा, उदाहरण यदि राज्य "सूखा मल" की मौजूदगी को शहरी क्षेत्रों में दर्शाता है तो यह राज्य के कुछ अथवा सभी शहरों में मौजूद रहने की संभावना हो सकती है।

4. <u>क्षेत्र दौरे का अध्ययन:</u>

यह आंकड़ों को एकत्र करने का दूसरा प्रमुख खंड होगा। अध्ययन में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) कुछ सूचकों पर आंकड़ों का पता लगाने अथवा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनता के साथ विचार-विमर्श, उदाहरणार्थ खुले में शौच करने वाले गंदी बस्ती के निवासियों का अनुपात।

ख) रिकार्डों का अवलोकन और सुविधा केन्द्रों में अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श उदाहरणार्थ कचरे के रूप में ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण, पुन: उपयोग किए जा रहे कचरे का अनुपात, उपचार के पश्चात् जल की गुणवत्ता आदि

ग) प्रत्येक अवलोकन, जहां संगत हो, वहां फोटो-दस्तावेज उदाहरणार्थ नालियों अथवा नालों में अपशिष्टों को गड्ढों अथवा सेप्टिक टैंकों में बहाना, संचित ठोस अपशिष्ट को रखना, नाबदान अथवा बेकार बहना आदि।

शहर के कार्यशील मानचित्र को आधार मानते हुए और यूएलबी के साथ विचार-विमर्श से सर्वेक्षण एजेंसी प्राथमिक क्षेत्र अध्ययन के लिए स्थलों का चयन करेगी।

प्रत्येक शहर में निम्नलिखित स्थान शामिल होंगें:-

- अनधिकृत मलिन बस्ती भी आबादी और शहर के विभिन्न भाग के शहरी गांव।
- आसपास के क्षेत्र (गैर-मलिन बस्ती क्षेत्र) में शामिल होंगें।

    क) अपार्टमेंट;

    ख) सरकारी कॉलोनी;

    ग) नियोजित कॉलोनी; व

    घ) अनियोजित कॉलोनी

- मुख्य सार्वजनिक स्थानों:

    क) मुख्य बस स्टेशन;

    ख) मुख्य रेलवे स्टेशन;

    ग) मुख्य बाजार क्षेत्र; व

    घ) मुख्य व्यवसाय जिला।

- गंदी नाली, पानी शोधन संयंत्र, यदि उपलब्ध हों।
- ठोस अपशिष्ट स्वच्छता गढ्ढा अथवा अनियंत्रित क्षेपण भूमि।
- वे स्थान जहां तरल और ठोस अपशिष्टों की निपटान की संभावना होती है, जैसे नदी, नहर, नाली, झील, तालाब आदि और इसलिए ऐसे निकायों के तटों/किनारों पर दौरा करने की आवश्यकता होती है।

सर्वेक्षण फर्म अपने निष्कर्षों और जांच को दर्ज करने के लिए मानचित्रों और सरल रिकार्डिंग प्रारूप का उपयोग करेंगें। एकत्र किए गए साक्ष्यों के समर्थन के लिए, जहां आवश्यक हो, फोटो भी लिया जाएगा।

5. <u>जल नमूना परीक्षण:</u>

जल नमूने को शहर-भर के पेय जल स्रोतों तथा अन्य जल निकायों से एकत्र किया जाएगा तथा गुणवत्ता सूचकों के लिए परीक्षण किया जाएगा।

III शहरों के तीन आकार वर्ग:

उपर्युक्त विचार-विमर्श के अनुसार आकलन प्रक्रिया विस्तृत प्राथमिक आंकड़ा एकत्रीकरण पर निर्भर नहीं है, इसलिए क्षेत्र के स्थान अध्ययन के चयन (उदाहरण गंदी बस्ती स्थान, आवासीय क्षेत्र के आसपास, बाजार क्षेत्र आदि) कठिन सांख्यिकीय सैम्पलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय यूएलबी के साथ विचार-विमर्श से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों और स्थितियों को शामिल करने के प्रयास किए जाएगें।

तथापि, वर्ग I शहरों में जनसंख्या की अधिक विभिन्नता के लिए (और भौगोलिक प्रसार), नीचे तालिका (1) में दी गई तीन वर्गों के लिए पृथक रूप में आकलन किया जाएगा:-

तालिका (1) : जनसंख्या आकार वर्ग के शहरों का वर्गीकरण			
	जनसंख्या आकार वर्ग	**जनसंख्या आकार**	**शहरी समूह/शहरों की संख्या**
1	महानगर	5 मिलियन से अधिक	6
2	बड़े वर्ग 1	1 मिलियन से 5 मिलियन तक	29
3	अन्य बड़े वर्ग 1	1,00,000 से 1 मिलियन तक	400+
स्रोत: भारत की जनगणना, 2001 नोटः महानगर में घरों की संख्या 60 मिलियन और बड़े वर्ग I में 48 मिलियन व्यक्ति आंकड़ा एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग तथा स्कोर करने का तरीका			

बड़े शहरों के विभिन्न भागों में विद्यमान होने की संभावना वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को कवर करने के लिए 1 श्रेणी के बड़े शहरों तथा 1 श्रेणी के अन्य शहरों के उपरांत महानगरों में पर्यवेक्षण स्थलों (आस-पड़ोस, मलिन बस्तियां, बाजार, पानी के नमूने इत्यादि) की संख्या सबसे ज्यादा होगी।

IV. डाटा संग्रहण, प्रक्रियागत करना और स्केटिंग का तरीका

इस भाग में आंकड़ों एकत्रीकरण करने के प्रमुख उपाय है जिसमें जांच बिन्दु के स्रोत और सैम्पलिंग बिन्दु और सूचकों को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाने वाली योजना शामिल है।

जहां उपलब्ध हो, वहां संगत शहरी विकास मंत्रालय सेवा स्तर का बेंचमार्क[2] भी उपलब्ध हो।

1. आउटपुट संबंधित सूचक कुल -50 अंक

क) खुले में शौच नहीं - 16 अंक

i. व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक स्वच्छता केन्द्रों में शहरी गरीब और अन्य असेवित घरों द्वारा शौचालय तक पहुंच और उपयोग-4 अंक

1. बिना शौचालय के घर तथा घरों के अनुपात को दर्शाने के लिए जनगणना 2001 के आंकड़े अथवा यूएलबी आंकड़े (आधारभूत सर्वेक्षण के), यदि उपलब्ध हो, का प्रयोग (स्वच्छता प्रबंधन के प्रकारों के स्पष्ट[3] चित्र प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर एनएफएचएस-3 आंकड़े के साथ विश्लेषण के आरंभिक बिन्दु के रूप में स्वच्छता प्रबंधनों का उपयोग राज्यवार संवितरण)।

[2] सर्विस लेवल बेंचमार्क एमओयूडी, भारत सरकार पर पुस्तिका (हैंडबुक)

[3] एनएफएचएस-3 जनगणना की तुलना में शौचालय प्रौद्योगिकी और निपटान प्रबंधन सहित अधिक विस्तृत फोटो प्रस्तुत करती है जबकि जनगणना की रिपोर्ट में निपटान प्रबंधन नहीं होता है। संयुक्त मॉनीटरिंग कार्यक्रम (जेएमपी) भी देश-भर में स्वच्छता का पता लगाने की प्रगति के लिए नवीनतम एनएफएचएस आंकड़ों का प्रयोग करता है।

2. मूलभूत शहर का कार्यशील मानचित्र का उपयोग करते हुए यूएलबी के साथ विचार-विमर्श कि मलिन बस्ती का स्थान और शहरों में अन्य आवासीय स्थानों, जहां घरों में, बिना शौचालय के घर होने की संभावना है।

3. शहर के प्रमुख भाग करने के लिए शहर के कार्यशील मानचित्र का उपयोग करें

- वर्ग I शहरों में चार जोन-उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण।
- बड़े वर्ग I अथवा महानगरों में 6 जोन, शहर को 6 क्षेत्र अथवा जोन में भाग करे (मध्य जोन और उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के अतिरिक्त परिधि जोन)

4. शहर में, अधिसूचित मलिन बस्ती की सूची (राज्य के कानून के अनुसार), चार। छह जोन में से सबसे बड़ी मलिन बस्ती (जनसंख्या के अनुसार) का चयन करें।

जहां विशिष्ट जोन में अधिसूचित मलिन बस्ती उपलब्ध नहीं है, सबसे बड़ी गैर-अधिसूचित मलिन बस्ती अथवा सबसे बड़ी अनियमित आवासीय क्षेत्र को यूएलबी के विचार-विमर्श से चयन करें।

जोन में कोई भी मलिन बस्ती नहीं होने की स्थिति में शहर में सबसे अधिक संख्या में मलिन बस्ती दर्शाने वाले जोन का चयन करें।

अन्य जोन से कोई भी मामला नहीं होने की स्थिति में प्रक्रिया को दोहराएं।

5. चयनित स्थलों का क्षेत्र दौरा का संचालन करें। सामान्यत: आपके क्षेत्र के दौरे का समय प्रात:काल अथवा सांयकाल होना चाहिए।

6. आवासीय क्षेत्र में जाने पर, उसके आसपास घूमकर खोज करें। आवासीय क्षेत्र में रहने वालों के शौचालय तक पहुंच और स्वच्छता प्रक्रियाओं के संबंध में उनसे चर्चा करें।

आवासीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से स्थानीय सूचना प्रदाताओं के कम से कम तीन समूह जिससे कम से कम एक महिला हो, से चर्चा करें।

7. उपर्युक्त विचार-विमर्श के भाग के रूप में उन निवासियों की पहचान करें जिसके घरों में स्वंय का शौचालय न हो और सुनिश्चित करें कि वे सामुदायिक अथवा सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं। अथवा खुले में शौच करते हैं।

8. उपर्युक्त वार्तालाप के आधार पर आवासीय क्षेत्र में खुले में शौच कर रहे निवासियों के आकलन को प्रतिशत में दर्शाए।

9. खुले में शौच करने के स्थान की फोटो ले और फोटो ली गई स्थल का नाम और तारीख नोट करें।

10. क्षेत्र के दौरे द्वारा शामिल किए गए चार/छह आवासीय क्षेत्रों के अनुपात की गणना करने के पश्चात् इन अनुपातों का सरल औसत निकाले तथा नीचे योजना के तहत अंक प्रदान करें।

अंक प्रदान करने की योजना	**अंक**
गंदी बस्ती के नमूने वाले आवासीय परिसर में खुले में शौच नहीं होना।	4 अंक दें।
गंदी बस्ती के नमूने के अनुमानित जनसंख्या के 5 प्रतिशत बस्ती जो खुले में शौच करती है।	3 अंक दें।
गंदी बस्ती नमूने के अनुमानित जनसंख्या को 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत जो खुले में शौच करती है।	2 अंक दें।
गंदी बस्ती नमूने के 10 से 15 प्रतिशत की अनुमानित जनसंख्या जो खुले में शौच करती है।	1 अंक दें।
गंदी बस्ती के नमूने में 15 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित जनसंख्या जो खुले में शौच करती हो।	0 अंक दें।
नोट: हम *प्रक्रिया अथवा वास्तविक प्रयोग के न कि केवल वास्तविक सुविधाओं और शौचालय* होने का व्यावहारिक आयाम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसे घर होगें जहां कुछ सदस्य शौचालय का प्रयोग करते होगें और कुछ खुले में शौच करते होंगे।	
शहरी विकास मंत्रालय का मानक एमओयूडी बेंचमार्क व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक शौचालय की पहुँच सेवा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत जनसंख्या के लिए कुछ ही दूरी पर होता है।	

उपर्युक्त आकलन में आवासीय क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात जो वास्तव में खुले में शौच करते हो अर्थात जहां शौचालय का उपयोग किया जा रहा हो अथवा वहां स्थित हो, पर ध्यान दिया गया है।

ii. घुमंतू और स्थिर जनसंख्या के लिए शौचालय की पहुंच तथा प्रयोग-पर्याप्त सार्वजनिक सुविधा केन्द्र- 4 अंक

1. सार्वजनिक शौचालय की परिभाषा दें जो जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो, चाहे वह नि:शुल्क हो अथवा उसके लिए भुगतान करना हो।[4]

2. यूएलबी से उनके द्वारा, उनके एजेंटों/ठेकेदारों अथवा निजी पार्टियों अथवा सामुदायिक समूहों (कुछ शहरों में इन्हें सामुदायिक शौचालय भी कहा जाता है) सार्वजनिक शौचालय की संख्या जाने।

[4] एक सार्वजनिक शौचालय पर अर्थात घुमंतू जनसंख्या के प्रयोग के लिए बल दिया गया है कुछ शहरों में सामुदायिक शौचालय है जो नियमित प्रयोगकर्त्ताओं के प्रमुख समूह द्वारा प्रयोग अर्थात मलिन बस्ती के निकट, के लिए होता है। बाद में उल्लेख किए गए शौचालय निश्चित रूप से 1 क) i) में होगा।

देशभर में इन सार्वजनिक शौचालयों का भौगोलिक विवरण सुनिश्चित करें।

3. अन्य वर्ग I शहरों में (अधिक जनसंख्या थ्रू-पुट में) यूएलबी से पूछते हुए,

क) मुख्य बस स्टेशन;

ख) मुख्य रेलवे स्टेशन;

ग) मुख्य बाजार क्षेत्र, और

घ) मुख्य व्यवसाय जिला।

4. बड़े वर्ग I शहरों में यूएलबी से पूछते हुए छह प्रमुख सार्वजनिक स्थान (अधिक जनसंख्या थ्रू-पुट में)

क) मुख्य बस स्टेशन;

ख) मुख्य रेलवे स्टेशन;

ग) मुख्य बाजार क्षेत्र;

घ) मुख्य व्यवसाय जिला; और

(ड.) और (च) उपर्युक्त वर्गों से दो अन्य स्थान (उदाहरण दूसरा प्रमुख बाजार) अथवा स्थान का नया वर्ग (उदाहरण प्रमुख मनोरंजक क्षेत्र)

5. महानगरों में 8 प्रमुख स्थान-यूएलबी से पूछते हुए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों से एक (अधिक जनसंख्या वाले थ्रू-पुट)

क) मुख्य बस स्टेशन;

ख) मुख्य रेलवे स्टेशन;

ग) मुख्य बाजार क्षेत्र, और

घ) मुख्य व्यवसाय जिला।

और ड., च, छ, ज) उपर्युक्त वर्गों में से चार अन्य स्थान (उदाहरण दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन) अथवा स्थान का नया वर्ग (उदाहरण प्रमुख मनोरजंक स्थल)

6. प्रत्येक चयनित स्थान का दौरा करें- दौरा दिन में अथवा प्रमुख कार्य घंटों के दौरान करें (प्रात: काल अथवा देर रात में नहीं)

सार्वजनिक शौचालय के चयनित स्थान और स्थिति का पता लगाए तथा यह जाने की वह कार्य कर रहा है अथवा नहीं।

शौचालय का और उसके आस-पास के क्षेत्रों का फोटो लें।

7. सार्वजनिक शौचालय के समीप कम से कम 2 दुकान/कार्यालय के कार्मिकों का संक्षिप्त साक्षात्कार करें।

8. शौचालय के समीप कम से कम 2 अन्य प्रयोगकर्त्ताओं का संक्षिप्त साक्षात्कार करें।

9. जांचों और साक्षात्कारों के आधार पर सार्वजनिक शौचालय को ''प्रचालनरत और कार्यशील'' अथवा '' असंतोषजनक'' दर्शाए।

10. सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं होने अथवा कुछ शौचालय होने की स्थिति में कुछ व्यक्तियों (विशेषकर दुकानदारों) से पूछें कि वे पेशाब एवं शौच के लिए कहां जाते हैं।

11. इन शौचालय में अथवा इसके आसपास अथवा इन प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में खुले में शौच अथवा पेशाब करने की किसी भी मामले को नोट करें। फोटो लें।

मार्किंग की योजना	**अंक**
प्रत्येक नमूना स्थान में उपलब्ध कार्यशील सार्वजनिक शौचालय (क्रियाशील और कार्यरत) के लिए	अंक दें =4x (नमूना अवलोकन केन्द्रों में क्रियाशील और कार्यरत सार्वजनिक शौचालय की संख्या)
प्रत्येक नमूना अवलोकन क्षेत्र में खुले में पेशाब अथवा खुले में शौच करते पाए जाने पर प्रत्येक घटना के लिए 0.5 अंक काटें और इसी प्रकार अधिकतम 2 अंक तक काटें	

iii. खुले में शौच करते नहीं पाए जाने पर - 4 अंक

1. दौरे के कुल केन्द्र के अनुपात में खुले में शौच करते पाई गई घटनाओं की गणना 1 क) i) और 1क) ii) में करें।
2. शहर के सीमा पर मुख्य रेलवे स्टेशन के दोनों ओर 1 कि.मी से अधिक के क्षेत्र अथवा मुख्य रेलवे लाइन संरेखनों (एलाइनमेंटो) पर रेलवे लाइन (अर्थात अधिकतम यात्री वाहक रेल के लिए) का अवलोकन करें।
3. खुले में शौच होने की स्थिति को देखें और उसके आधार पर ''ओडी'' अथवा ''ओडी नहीं'' का निर्णय लें।
4. फोटोग्राफ लें।

मार्किंग की योजना
4 अंक देने से अंकन कार्य आरंभ करें
4 अंकों से अंक काटें (उपर्युक्त सं. 1 में कुल क्षेत्रों में दौरा किए गए कुल केन्द्रों के अनुपात में दौरे किए गए केन्द्र जहां ओडी पाया गया, का अनुपात) और 2 से गुणा करें।
प्राप्त उपर्युक्त परिणाम में प्रत्येक ''ओडी'' रेलवे ट्रैक (अधिकतम 2 अंक काटे जा सकते हैं) के लिए 4 अंक काटें।

iv. शहरों में मानव द्वारा मल उठाने की प्रवृत्ति को हटाना -4 अंक

1. यह सुनिश्चित करें कि जनगणना 2001 अथवा यूएलबी के नवीनतम सर्वेक्षण आंकड़े में शौचालयों के ''अन्य'' (लैट्रिन सेवा) वर्ग है। राज्य के शहरों में ''सूखा शौचालय'' की श्रेणी देखने के लिए एनएफएचएस-3 आंकड़े का संदर्भ लें।
2. मानव द्वारा मल उठाने पर प्रेस रिपोर्ट की भी जांच करें।
3. क्षेत्र के दौरे में 1 क) i) और 1क) ii) किसी भी प्रकार के मानव द्वारा मल उठाने की घटना के लिए देखें। पूछें।

मार्किंग की योजना
4 अंक देने से अंकन प्रक्रिया आरंभ करें।
शहर में किसी प्रकार से मानव द्वारा मल उठाने की घटना के लिए 4 अंक काटें
मानव द्वारा साफ करने अथवा निपटान के उद्देश्य से मानव मल के किसी भी प्रकार से मल उठाने की घटना, यदि सिर पर नहीं रखा जा रहा है तब भी, नोट करें।

ख. सुरक्षित रूप से एकत्र किए गए कुल मानव मल का अनुपात - 6 अंक

1. यूएलबी आंकड़े एकत्र करें जो निम्नलिखित से संबंधित हो:

i) आवासीय परिसरों से जुड़े हुए गंदे पानी की निकासी, और
ii) शेष आवासीय परिसरों के आन साइट प्रबंध

शहर के कुल आवासीय परिसरों जहां से मल का सुरक्षित एकत्रीकरण अथवा अन्य गंदे पानी के निकासी हेतु नेटवर्क में जुड़ा हुआ अथवा सेप्टिक टैंकों ओर गढ्ढों में सुरक्षित एकत्र किया किन्तु नालों, नालियों अथवा खुले क्षेत्रों में नहीं बहाया गया हो, के अनुपात को कुल यूएलबी के साथ अनुमान लगाएं।

2. ''अन्य I श्रेणी के '' शहरों में यूएलबी के साथ चार (गैर-मलिन बस्ती) पड़ोस/कॉलोनियां को सुनिश्चित करें। गंदे पानी की नालियों वाले शहरों में - दो नाली वाले और दो बिना नाली वाले स्थान: बिना नाली वाले शहर, सभी चार कॉलोनी बिना सीवर के रहे हों।

श्रेणी I के बड़े शहरों में आठ स्थानों तथा महानगरों में 8 स्थानों का चयन करें।

3. विभिन्न प्रकार के बसाहटों को कवर करने के लिए उपर्युक्त चार कॉलोनियों (1 क में मलिन बस्ती के स्थानों के अतिरिक्त गैर-मलिन बस्ती स्थान) का चयन करें अर्थात:-

(क) सरकारी कॉलोनी,

(ख) पुराने शहरी क्षेत्र में कॉलोनी,

(ग) नियोजित कॉलोनी (सरकारी अथवा निजी क्षेत्र द्वारा विकसित),

(घ) अपार्टमेंट/बहु-मंजिली बिल्डिंग (केवल महानगरों में)

श्रेणी- । के बड़े शहरों और महानगरों में यूएलबी/यूटीलिटी के साथ चर्चा करने के लिए उपर्युक्त प्रकारों को कवर करने के लिए छह/आठ स्थानों का चयन करें।

4. शहर के विभिन्न क्षेत्रों/जोनों अर्थात शहर के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भागों से यथासंभव उपर्युक्त पर्यावासों का चयन करें।

5. सवेरे-सवेरे इन कॉलोनियों का दौरा करें (सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक)।

6. प्रत्येक कॉलोनी में घर के पिछले हिस्से में जाकर देखें कि कहीं वहां बिल्डिंग/ घरों/संपत्तियों से टूटा हुआ सीवर अथवा सीवर का बहता हुआ पानी तो नहीं है। इसका फोटो खींचे।

7. इन कॉलोनियों के आसपास नदी/नाले अन्य खुले स्थानों पर इकट्ठा हुआ अशोधित सीवेज देखें। इसका फोटो खींचें।

8. स्थानीय निवासियों (प्रत्येक स्थान पर कम से कम 3) से इस बारे में पूछे कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कहां किया जाता है, क्या सीवर और सेनिटरी के पाइपों में टूट-फूट और रिसाव आम बात है तथा क्या और कैसे ऑन-साइट सिस्टमों की सफाई की जाती है।

9. टिप्पणियों और विचारविमर्श के आधार पर मानव के मल के सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं वाली संपत्तियों की प्रतिशतता का प्राक्कलन करें (कार्यरत सीवरेज, ऑन साइट टैंक तथा गढ्ढे)।

10. शहर के प्रत्येक प्रतिमानी पड़ोसी/कॉलोनियों से आकलित प्रतिशतता के सामान्य औसत की गणना करें।

अंक प्रदान करने की योजना	**अंक**
सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियों के अनुपात को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित अंक दें	
शत-प्रतिशत सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	6 अंक दें
90 प्रतिशत से लेकर व 100 प्रतिशत से कम सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	5 अंक दें
80 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	4 अंक दें
70 प्रतिशत से लेकर 80 से कम सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	3 अंक दें
60 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	2 अंक दें
40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम सुरक्षित संग्रहण	1 अंक दें

व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	
40 प्रतिशत से कम सुरक्षित संग्रहण व्यवस्थाओं से युक्त संपत्तियां	0 अंक दें
नोट: टूट-फूट, मल जल के ओवर फ्लो अथवा रिसाव के लिए 0.5 अंक काटें (इस प्रकार काटे जाने वाले अधिकतम 3 बिन्दु तक)। कुल मिलाकर सबसे न्यूनतम अर्थात शून्य हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकता।	
शहरी विकास मंत्रालय का मानक सीवरेज नेटवर्क की संग्रहण कार्योत्पादकता (100 प्रतिशत बेंचमार्क मान) के दिन मल जल का सुरक्षित सीमित, शोधित अथवा निपटान शामिल नहीं है। उपर्युक्त कवायद में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव मल की कुल मात्रा के साथ क्या होता है अर्थात केवल सीवरेज प्रणाली तक ही सीमित/संग्रहित न हो।	

ग. शोधित किए जाने वाले और सुरक्षित रूप से निपटान किए जाने वाले कुल गंदे अपशिष्ट पानी (मानव मल सहित) का अनुपात -6 अंक

1. निम्नलिखित प्रणालियों से उत्सर्जित गंदे अपशिष्ट पानी (द्वितीयक उपचार के न्यूनतम स्तर तक) के शोधन के अनुपात के संबंध में डाटा की यूएलबी के साथ चर्चा करें:

क) सीवेज शोधन प्लांट में संग्रहित और शोधित उत्सर्जित सीवेज का अनुपात।

ख) उस सेप्टेज (गीला कचरा) का अनुपात (ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों से) जिसकी वार्षिक रूप से सफाई की जाती है और जो किसी शोधन प्रणाली में जमा हो जाता है। यदि सीवरेज नेटवर्क के अंदर सेप्टेज खोलों में जमा हो जाए तो दोबारा परिकलन न करें।

ग) शोधित किए गए गंदे पानी से संपर्क में आने पर प्रदूषित हुए नालों तथा नालियों में प्रवाह की मात्रा। उपर्युक्त मद (1) के लिए फोटो लेकर वैध ठहराएं।

(यदि पूरे शहर का अपशिष्ट पानी गंदे अपशिष्ट पानी द्वारा संदूषित होना प्रतीत हो तो नीचे 1 (घ) मानक को हटा दें)।

2. सीवरेज/सेप्टेज के द्वितीयक शोधन के अनुपात को सत्यापित करने के लिए यदि उपलब्ध हो तो दो सबसे बड़े सीवेज उपचार सुविधा केन्द्र का दौरा करें। रिकार्डों से शोधित पानी की गुणवत्ता का सत्यापन करें।

अंक प्रदान करने की योजना	**अंक**
द्वितीय उपचार के उपरांत शोधित और निपटान किए गए गंदे अपशिष्ट पानी के अनुपात का परिकलन करें (द्वितीय उपचार के लिए भारत सरकार के सीपीसीबी के मानकों का अनुसरण करें)	

यदि शत-प्रतिशत गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	6 अंक दें
यदि 90 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत से कम गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	5 अंक दें
यदि 80 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत से कम गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	4 अंक दें
यदि 70 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	3 अंक दें
यदि 60 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत से कम गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	2 अंक दें
यदि 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	1 अंक दें
यदि 40 प्रतिशत से कम गंदे अपशिष्ट पानी का शोधन और निपटान होता है	0 अंक दें

नोट:

गंदे अपशिष्ट पानी को जलाशय, नदी अथवा खुले स्थान पर असुरक्षित रूप से फेंकने अथवा निपटान करने के प्रत्येक दृष्टांत पर 0.5 अंक काटे - (इस प्रकार काटे जाने वाले अधिकतम 2 बिन्दु तक)

कुल मिलाकर सबसे न्यूनतम अर्थात शून्य हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकता।

(यदि शहर का पूरा अपशिष्ट पानी मानव मल द्वारा संदूषित होना प्रतीत हो अथवा हो जाए तो अंतिम स्कोर को 1.5 से गुणा करें तथा नीचे 1 घ मद को हटा दें।)

शहरी विकास मंत्रालय का मानक

सीवरेज शोधन प्लांट के आउटलेटों से संग्रहित शत-प्रतिशत नमूनों को द्वितीयक शोधन के संबंध में भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता जांच से गुजारा जाता है।

घ. शोधित और निपटान किया गया उत्सर्जित कुल ग्रे अपशिष्ट पानी का अनुपात-3 अंक

1. यूएलबी के साथ चर्चा करके उत्सर्जित अपशिष्ट पानी के प्रवाह की मात्रा का पता लगाएं जिसमें जैविक बोझ तो है लेकिन मानव मल नहीं (''ग्रे अपशिष्ट पानी'')।

2. अपशिष्ट पानी के उस अनुपात का पता लगाए जिसे किस शोधन सुविधा केन्द्र में शोधित किया गया है और तत्पश्चात् द्वितीय शोधन मानकों की पूर्ति के उपरांत इसे पर्यावरण में छोड़ा जाता है।

3. यदि शहर के अपशिष्ट पानी को सहजता से गंदे और मल जल पानी की श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो इस सूचक को हटा दें तथा 9 अंकों में से पूर्ववर्ती सूचक का आकलन करें।

मद 1(ख) के लिए यथासंग्रहित फोटोग्राफिक साक्ष्य का संकलन करें।

अंक प्रदान करने की योजना	**अंक**
द्वितीयक शोधन के उपरांत शोधित और निपटान किए गए मल-जल (ग्रे) अपशिष्ट पानी के अनुपात का परिकलन करें (द्वितीयक शोधन के लिए भारत सरकार, सीपीसीबी के मानकों का अनुसरण करके)	
यदि 100 प्रतिशत गंदला पानी उपचारित किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है	3 अंक प्रदान करें
यदि 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत गंदला पानी उपचारित किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है	2 अंक प्रदान करें
यदि 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत गंदला पानी उपचारित किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है	1 अंक प्रदान करें
यदि 60 प्रतिशत से कम गंदला पानी उपचारित किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है	0 अंक प्रदान करें

ड. उपचारित गंदले पानी का अनुपात जिसका रिसाइक्लिंग और पुन: उपयोग किया जाता है - 20 प्रतिशत के लिए 3 अंक

1. यूएलबी के साथ विचार-विमर्श करके उपचारित गंदे पानी के प्रतिशत की गणना करना जो कि रिसाइक्लिंग और पुन:प्रयुक्त किया गया हो अर्थात जिसे किसी उद्योग को बेचा गया हो या किसी अन्य निजी या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा उपयोग किया गया हो।

2. सर्वेक्षण एजेंसी दो सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्रों का दौरा करके दावे की जांच कर सकती है।

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
रिसाइक्लिंग उपचारित गंदे पानी तथा उसके पुन:उपयोग के अनुपात का परिकलन (द्वितीय उपचार के पश्चात्)	
यदि 20 प्रतिशत या अधिक उपचारित गंदे पानी का रिसाइक्लिंग किया जाता है और उपयोग किया जाता है	3 अंक प्रदान करें
यदि 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत तक उपचारित गंदे पानी का रिसाइक्लिंग किया जाता है और उपयोग किया जाता है	2 अंक प्रदान करें
यदि 1 प्रतिशत या 10 प्रतिशत तक उपचारित गंदे पानी का	1 अंक प्रदान करें

रिसाइक्लिंग किया जाता है और उपयोग किया जाता है	
यदि 1 प्रतिशत से कम उपचारित गंदे पानी का रिसाइक्लिंग किया जाता है और उपयोग किया जाता है	0 अंक प्रदान करें
नोट: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 20 प्रतिशत पुन: उपयोग और रिसाइक्लिंग का मानक है।	

च. कुल वर्षा जल और ड्रेनेज का अनुपात जिसका प्रभावपूर्ण ढंग से और सुरक्षित रूप से प्रबंधन किया गया है - 3 अंक

1. शहर में और उसके आसपास की सड़कों पर ड्रेनेज और अन्य प्रमुख ड्रेनेज क्षेत्रों के कवरेज के संबंध में यूएलबी के साथ विचार-विमर्श।
2. बाढ़ और जल-भराव की रिपोर्टों के लिए वर्षा के मौसम में समाचार पत्रों को देखें।
3. फील्ड दौरों के दौरान नालियों के टूटने या भरकर बहने की किसी घटना को ध्यान में रखें (1 क) i) और ii) और (1 ख)
4. बाढ़ और जल-भराव की घटना के संबंध में शहरी मलिन बस्तियों और अन्य आसपास के लोगों से पूछें।

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
क. वर्षा जल निकासी (ड्रेनेज) क्षेत्र	
यदि 100 प्रतिशत शहर की सड़कों को शामिल कर लिया गया है	3 अंक प्रदान करें
यदि 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक शहर की सड़कों को शामिल कर लिया गया है	2 अंक प्रदान करें
यदि 40 प्रतिशत 60 प्रतिशत तक शहर की सड़कों को शामिल कर लिया गया है	1 अंक प्रदान करें
यदि 40 प्रतिशत से कम शहर की सड़कों को शामिल कर लिया गया है	0 अंक प्रदान करें
ख. यदि 50 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर नालियों के भरकर बहने तथा टूटने की घटनाएं पाई जाती हैं तो 1 अंक कम करें।	
ग. 0.5 अंक कम करें यदि 50 प्रतिशत से अधिक सड़कों पर बार-बार बाढ़ का पानी भरने की आशंका रहती है - बाढ़/जल-भराव का अर्थ है 4 घंटे से अधिक समय तक 6 इंच से अधिक पानी जमा रहना - जिससे परिवहन और सामान्य जन-जीवन प्रभावित होता हो। *कुल मिलाकर सबसे न्यूनतम अर्थात शून्य हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकता।*	
शहरी विकास मंत्रालय का मानक	

वर्षा जल निकासी (ड्रेनेज) नेटवर्क क्षेत्र मानक 100 प्रतिशत कुल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाले (ढके हुए, कड़ीबद्ध और पक्के) सड़कों (3.5 मी से अधिक चौड़ी) की कुल लंबाई के अनुपात के तौर पर गणना की जाती है। वर्षा जल निकासी को एक वर्ष में शहर-भर में जल-भराव/बाढ़ की घटनाओं की संख्या द्वारा नापा जाता है।

छ. कुल उत्पन्न ठोस कचरे का अनुपात जो कि नियमित रूप से एकत्र किया जाता है - 4 अंक

1. रोजाना उत्पन्न ठोस कचरे और उसको एकत्र करने का यूएलबी आंकड़ा लें। उसका प्रतिशत निकालें।
2. फील्ड दौरों के दौरान क्या कहीं ठोस कचरा नजर आया (ऊपर 1 क) i), ii) और (1 ख)

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
यदि रोजाना 100 प्रतिशत ठोस कचरा एकत्र कर लिया जाता है।	4 अंक प्रदान करें
यदि रोजाना 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक ठोस कचरा एकत्र कर लिया जाता है	3 अंक प्रदान करें
यदि रोजाना 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक ठोस कचरा एकत्र कर लिया जाता है	2 अंक प्रदान करें
यदि रोजाना 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ठोस कचरा एकत्र कर लिया जाता है	1 अंक प्रदान करें
यदि रोजाना 40 प्रतिशत से कम ठोस कचरा एकत्र कर लिया जाता है	0 अंक प्रदान करें
हर बार 0.25 अंक कम करें जब भी शहर में ठोस कचरा फेंकने की घटनाएं पाई जाती हैं और अधिकतम कमी 2 अंकों की हो सकती है। *कुल मिलाकर कोई नकारात्मक अंक नहीं है और न्यूनतम अंक शून्य है।*	
शहरी विकास मंत्रालय का मानक उत्पन्न कचरे (उत्पन्न होने के स्थान पर संसाधित या रिसाइक्लिंग कचरे को छोड़कर) के 100 प्रतिशत का मानक यूएलबी या इसकी प्राधिकृत सेवा प्रदायकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। (परिकल्पित मासिक टन)	

ज. कुल उत्पन्न ठोस कचरे का उपचारित और सुरक्षित रूप से निपटाए जाने का अनुपात - 4 अंक

1. ठोस कचरे के उपचार और निपटान पर यूएलबी आंकड़े लें (न्यूनतम अपेक्षित भारत सरकार के मानकों के अनुरूप)
2. फील्ड दौरे के दौरान ठोस कचरे के पाए जाने पर नजर रखें (ऊपर 1 क) i) ii) और (1 ख)

3. सभी कानूनी भूमि-भराव स्थलों के साथ-साथ अनियंत्रित डम्पिंग के प्रमुख स्थलों का दौरा के - भारत सरकार के मानकों के अनुकूल निपटान (घुलकर बाहर बहने सहित) की सुरक्षा का आकलन।
4. फोटो खीचें।

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
यदि कुल उत्पन्न कचरे के प्रतिशत के रूप में 100 प्रतिशत ''अनुकूल'' उपचार और निपटान हुआ है (संग्रह नहीं)	4 अंक प्रदान करें
यदि कुल उत्पन्न कचरे के प्रतिशत के रूप में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक ''अनुकूल'' उपचार और निपटान हुआ है (संग्रह नहीं)	3 अंक प्रदान करें
यदि कुल उत्पन्न कचरे के प्रतिशत के रूप में 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक ''अनुकूल'' उपचार और निपटान हुआ है (संग्रह नहीं)	2 अंक प्रदान करें
यदि कुल उत्पन्न कचरे के प्रतिशत के रूप में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ''अनुकूल'' उपचार और निपटान हुआ है (संग्रह नहीं)	1 अंक प्रदान करें
यदि कुल उत्पन्न कचरे के प्रतिशत के रूप में 40 प्रतिशत से कम ''अनुकूल'' उपचार और निपटान हुआ है (संग्रह नहीं)	0 अंक प्रदान करें
शहरी विकास मंत्रालय का मानक यूएलबी या इसके प्राधिकृत सेवा प्रदायकों द्वारा एकत्र किए गए 100 प्रतिशत कचरे को, भारत सरकार की एजेंसियों (घुलकर बाहर बहने के उपचार सहित) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डिजाइन किए गए निर्मित प्रचालित और देखरेख वाले भूमि-भराव में डाला जाता है।	

झ. शहर की सीमा के आसपास के क्षेत्रों पर शहर के कचरे का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता - शहर के बाहर की भूमि और जलाशयों में अपशिष्ट डालने से पहले सभी प्रकार के कचरे के 100 प्रतिशत निपटान हेतु 5 अंक।

1. शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की रिपोर्ट के लिए वर्षा के मौसम के समाचार पत्र को देखें।

2. अनुपचारित सीवेज, ठोस कचरे और ड्रेनेज निकास से प्रभावित भूमि-भराव, नदी/नालों के बहने वाले क्षेत्रों या खुली भूमि का निरीक्षण।

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
5 अंक प्रदान करें हर बार दो अंक घटाएं जब भी शहर से बाहर किसी भूमि या जलाशय में अनुपचारित मानव मल या अनुपचारित ठोस कचरा (लिचेट सहित) डाला जाता है, अनुपचारित गंदले पानी के मामले में (नालियों में बहने वाला जल) एक अंक घटाएं।	
कुल मिलाकर कोई नकारात्मक अंक नहीं है और न्यूनतम अंक शून्य है।	

2 प्रक्रिया संबंधित सूचक - कुल 30 अंक

क. खुले में शौच (ओडी) के मामलों का ट्रैक रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) प्रणाली स्थापित करना - 4 अंक

1. यूएलबी के साथ प्रणालियों पर विचार-विमर्श और वर्तमान स्थिति पर सहमति

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
ओडी का ट्रैक रखने के लिए यूएलबी में निगरानी तंत्र (कर्मचारियों सहित प्रक्रिया या प्रणाली)	1 अंक प्रदान करें
प्रत्येक वार्ड से ओडी की प्रथा पर आंकड़ों का माहवार संग्रह	1 अंक प्रदान करें
सार्वजनिक मंच पर मासिक रूप से आंकड़े बताना	1 अंक प्रदान करें
ओडी को रोकने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करना	1 अंक प्रदान करें
अंकों को जोड़ें और कुल अंक प्रदान करें।	

ख. सभी सीवरेज प्रणालियां ठीक प्रकार से कार्य करें और कोई एक्स-फिल्टरेशन न हो - 5 अंक

(ऐसे शहर जहां सीवरेज नेटवर्क नहीं है, इस बिन्दु को हटा दें और नीचे मद ग में 5 अंक जोड़ें)

1. यूएलबी के साथ प्रणालियों पर विचार-विमर्श और निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान स्थिति पर सहमति

i) क्या सफाई कर्मियों (सीवरेज और एसटीपी) को बचाव के सामान तथा सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं।
ii) क्या सीवरों की निगरानी और साफ-सफाई/देखरेख प्रबंधन के लिए मैकेनिकल (या सीसीटीवी आधारित) प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।
iii) क्या कामगारों को बीमा/भविष्यनिधि/ग्रेच्युटी की सुविधा दी गई है।
iv) क्या सीवरेज प्रणालियों से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है।
v) क्या सीवरेज की लागत-वसूली 100 प्रतिशत है।

अंक प्रदान करने की स्कीम
ऊपर में से प्रत्येक हेतु 1 अंक दें (या अंश के रूप में उदाहरण के लिए iv) हेतु 30 प्रतिशत लागत वसूली के लिए 1x 0.3 = 0.3 अंक प्रदान करें
अंकों को जोड़े और कुल अंक प्रदान करें
शहरी विकास मंत्रालय मानक मानक: सीवरेज प्रशुल्क हेतु 100 प्रतिशत लागत-वसूली तथा 100 प्रतिशत लागत प्रभावकारिता

ग. सभी सेप्टेज/सलज साफ किए गए और उसी स्थान पर स्थित प्रणाली द्वारा उपचारित करने के पश्चात् सुरक्षित रूप से ले जाया गया और निपटाया गया - 5 अंक

(जिन शहरों में सीवरेज नेटवर्क नहीं है, उन्हें अंक 10 अंकों में से प्रदान करें)

1. यूएलबी से प्रणालियों पर विचार-विमर्श और निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान स्थिति पर सहमति:

i) क्या सेप्टेज/सलेज (सफाई कर्मी) कर्मचारी बचाव के सामान और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हैं।

ii) क्या टैंकों और गड्ढों की सफाई के लिए मैकेनिकल (नॉन-मैनुअल) प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है।

iii) क्या टैंकों और गड्ढों से सलेज की सफाई और उसके निपटान की निगरानी की जाती है।

iv) क्या सेप्टेज सफाई प्रणालियों से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है।

v) क्या कर्मचारियों को बीमा/भविष्य निधि/ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान की गई है।

अंक प्रदान करने की स्कीम
ऊपर में से प्रत्येक हेतु 1 अंक दें
अंकों को जोड़े और कुल अंक प्रदान करें

घ. वर्षा जल निकास प्रणाली कार्य कर रही है और उसका रख-रखाव हो रहा है - 4 अंक

1. नक्शों, कर्मचारियों और रख-रखाव हेतु निगरानी प्रणालियों की उपलब्धता सहित यूएलबी के साथ वर्षा जल प्रबंधन प्रणालियों की व्याप्तता और प्रभावकारिता पर विचार-विमर्श

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
निम्नानुसार अंक प्रदान करें	
निकासी (ड्रेनेज) प्रणाली के लिए केन्द्रीकृत डाटाबेस/नक्शे हैं	2 अंक प्रदान करें
मानसून से पहले तथा एक बार अन्य मौसम में नालों की सफाई, मरम्मत और रख-रखाव किया जाता है।	2 अंक प्रदान करें

ड. ठोस कचरा प्रबंधन (संग्रह और उपचार) कार्यक्षम (एमएसडब्ल्यू नियमावली, 2000) - कुल 5 अंक

1. यूएलबी के साथ ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों की व्याप्तता और प्रभावकारिता पर विचार-विमर्श।

2. यूएलबी के साथ विचार-विमर्श करके शहर की गलियों की नियमित आधार पर साफ-सफाई की व्यवस्था के अनुपात का अनुमान लगाएं। फील्ड दौरों के दौरान शहर के आसपास निरीक्षण के द्वारा इसकी पुनर्जांच करें।

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
ठोस कचरा संग्रह और उपचार के लिए यूएलबी ने नियम बनाए हैं (या औपचारिक रूप से एमएलडब्ल्यू, नियमावली, 2000 को स्वीकार कर लिया है)	1 अंक प्रदान करें
प्रतिदिन घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह प्रणाली के अंतर्गत शामिल घर और प्रतिष्ठान	1 अंक का प्रतिशत से गुणा (100 प्रतिशत = 1 अंक),
नियमित रूप से जिन गलियों में झाड़ू लगाई जाती है, शहर की ऐसी गलियों का अनुपात (दिन में कम से कम एक बार)	1 अंक का प्रतिशत से गुणा (100 प्रतिशत = 1 अंक),
संसाधित या रिसाइक्लिंग किए जाने वाले कचरे का अनुपात (यूएलबी/एजेन्टों द्वारा संचालित कचरा रिसाइक्लिंग इकाई में)	1 अंक का प्रतिशत से गुण (लेकिन 80 प्रतिशत या उससे अधिक हेतु = 1 अंक)
एस डब्ल्यू एम सेवाओं (उपचार सहित) हेतु लागत वसूली या कुल वार्षिक प्रचालन लागत के अनुपात के रूप में कुल प्रचालन राजस्व	1 अंक का प्रतिशत से गुणा (100 प्रतिशत = 1 अंक),
शहरी विकास मंत्रालय का मानक मानक: रोजगार घर से संग्रह हेतु 100 प्रतिशत, निपटान/उपचारित किए जाने वाले स्थल पर आने वाले कचरे का 100 प्रतिशत अलग-अलग श्रेणियों में होना,कचरे का 80 प्रतिशत रिसाइक्लिंग, और 100 प्रतिशत प्रचालन लागत वसूली	

च. प्रचालन प्रणाली का दस्तावेजीकरण और उपर्युक्त में से प्रत्येक के लिए स्पष्ट रूप से संस्थागत जिम्मेदारी का बंटवारा - 4 अंक

1. यूएलबी के साथ विचार-विमर्श और जांच, लिखित मैनुअल की उपलब्धता और सीवरेज, सेप्टेज, ड्रेनेज तथा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कूटीकृत प्रक्रियाएं।

अंक प्रदान करने की स्कीम	अंक
मैनुअल और इस्तेमाल की जा रही प्रक्रियाओं के लिखित रूप में होने पर प्रत्येक के लिए 1 अंक प्रदान करें।	
सीवरेज	1 अंक प्रदान करें (जिन शहरों में सीवरेज नहीं है उन्हें 0 अंक)
सेप्टेज	1 अंक प्रदान करें (जिन शहरों में सीवरेज नहीं है उन्हें 2 अंक)
ड्रेनेज	1 अंक प्रदान करें
ठोस कचरा प्रबंधन	1 अंक प्रदान करें

छ. प्रदूषकों और संस्थानों द्वारा पालन न करने पर प्रतिबंधों का स्पष्ट निर्धारण और उनका अनुपालन - 3 अंक

1. मानव मल तथा कूड़े/कचरे के संबंध में अवैध और गैर जिम्मेदाराना रवैये को हतोत्साहित करने के लिए कानून, विनियम और नियमों तथा क्रियान्वयन के स्थिति के संबंध में यूएलबी के साथ विचार-विमर्श।

अंक प्रदान करने की स्कीम	अंक
यदि राज्य/यूएलबी अधिनियम (क) खुले में अनुपचारित मानव मल डाले जाने, और (ख) कूड़ा फैलाने के लिए उल्लंघनकर्त्ता को सजा देता है/जुर्माना करता है।	प्रत्येक के लिए 0.5 अंक प्रदान करें।
क खुले में अनुपचारित मानव मल डाले जाने और (ख) कूड़ा फैलाने के लिए नियम और विनियम का निर्माण और क्रियान्वयन किया जा रहा है।	
ऊपर उल्लिखित दो अपराधों के लिए पिछले एक वर्ष में लोगों पर जुर्माना किए जाने/सजा दिए जाने के मामले हैं।	प्रत्येक के लिए 0.5 अंक प्रदान करें। (यदि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो पता लगाए कि क्या निगरानी प्रणाली मौजूद है और क्या रिपोर्टें तैयार की गई है- प्रत्येक के लिए 0.5 अंक प्रदान करें।

3. परिणाम संबंधी सूचक - कुल 20 अंक

क. शहर में पेय जल की गुणवत्ता - 7 अंक

1. पेयजल के नमूने एकत्र करें

क. अन्य श्रेणी-1:20 नमूने

ख. उच्च श्रेणी 1: 25 नमूने

ग. मैट्रो : 30 नमूने

अन्य श्रेणी -1 शहरों की चार मलिन बस्तियों और चार कॉलोनियों से (उच्च श्रेणी 1 और मैट्रो शहरों की 6/8 मलिन बस्ती और कॉलोनियां)

पचास प्रतिशत नमूने इन अध्ययन स्थलों के घरों से होंगें, अन्य 30 प्रतिशत नमूने इस स्थलों के सार्वजनिक स्रोतों (सामुदायिक नल, हैंण्डपंप आदि) से होंगें तथा 20 प्रतिशत 1) क) ii) में शामिल सार्वजनिक क्षेत्रों से एकत्र किए जाएंगें।

नमूनों में भूमिगत जल स्रोतों के साथ-साथ नल वाले पानी/धरातल पर उपलब्ध जल स्रोत भी शामिल होंगें।

2. परीक्षण के मानकों में निम्नलिखित शामिल होंगें -

- थर्मो-टॉलरेंट कोलीफार्म (टीटीसी)
- अवशिष्ट क्लोरीन
- टरबीडिटी

अंक प्रदान की स्कीम
7 X(भारत सरकार के मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले जल के नमूनों की संख्या) (किसी भी एक मानक पर खरा न उतरने का अर्थ है पूर्णत: ''असफल'' होना) को जांचे गए नमूनों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त अंक प्रदान करें।
शहरी विकास मंत्रालय का मानक भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्धारित पीने योग्य पानी की गुणवत्ता के मानकों का प्रयोग करें।

ख. शहर में और इसके आसपास के जलाशयों के जल की गुणवत्ता- 7 अंक

1. शहर के 5 सबसे बड़े जलाशयों से जल के 5 नमूने एकत्र करें।
2. जलाशय शहर की सीमा के 05 कि.मी. के भीतर हो सकते हैं।
3. कृपया बहते पानी (नदी, जलधारा आदि) और स्थिर जल (पोखर, नहर आदि) अलग-अलग प्रकार के जलाशयों का मिश्रण लें।
4. कृपया निम्नलिखित मानकों हेतु परीक्षण करें:
    - थर्मो टोलरेंट कॉलीफार्म (टीटीसी)

- डिजाल्वड आक्सीजन (डीओ)
- बीओडी (जैविक ऑक्सीजन मांग)
- सीओडी (जैविक ऑक्सीजन मांग)

अंक प्रदान करने की स्कीम
भारत सरकार के मानकों के अनुरूप स्वीकार्य जल गुणवत्ता वाले पांच नमूनों में से प्रत्येक हेतु 7/5 अंक प्रदान करें (किसी भी एक मानक पर खरा न उतरने पर ''असफल'' माना जाएगा)
शहरी विकास मंत्रालय का मानक भारत सरकार की एजेन्सियों द्वारा निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों का प्रयोग करें।

ग. शहरी जनसंख्या में जल जनित रोग के मामलों में (स्वच्छता के कारण) कमी-6 अंक

1. पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09) में शहर से डायरिया के मामले के आंकड़ों का संग्रह।
2. शहर के सबसे बड़े अस्पताल से (या सरकारी स्वास्थ्य विभाग से यदि वे इस आंकड़े का समेकन करते हैं) यह आंकड़े एकत्र करें।

अंक प्रदान करने की स्कीम	**अंक**
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 50 प्रतिशत या अधिक की कमी	6 अंक प्रदान करें
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की कमी	5 अंक प्रदान करें
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की कमी	4 अंक प्रदान करें
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी	3 अंक प्रदान करें
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की कमी	2 अंक प्रदान करें
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की कमी	1 अंक प्रदान करें
पिछले तीन वर्ष की अवधि में डायरिया रोग में 20 प्रतिशत से कम की कमी	0 अंक प्रदान करें

IV फील्ड आकलन पैम्फलेट्स

आंकड़ों का संग्रह और संसाधन करने के संबंध में ऊपर दिए सूचकों में से प्रत्येक हेतु दिए गए स्पष्टीकरण का अनुपालन करते हुए सर्वेक्षण एजेंसी को निम्नलिखित आंकड़ा संग्रह पैम्फलेट्स को विकसित करने की आवश्यकता होगी:

1. यूएलबी से आंकड़ों के संग्रह हेतु एक विस्तृत प्रश्नोत्तर (इस अनुसूची की कुछ मदों के संबंध में अन्य संगत एजेंसियों से आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता पड़ सकती है जहां किसी विशिष्ट प्रचालन के लिए यूएलबी जवाबदेह न हो या कोई विशिष्ट आंकड़ा न हो)।

2. शहर के विभिन्न भागों में फैली मलिन बस्तियों और विभिन्न रिहायशी इलाकों के संबंध में अभ्युक्तियां, टिप्पणियां दर्ज करने और गणना करने के लिए पैम्फलेट।

3. आसपास के इलाकों (मलिन बस्ती के अलावा) या कॉलोनियों के संबंध में अभ्युक्तियॉ, टिप्पणियॉ दर्ज करने और गणना करने के लिए पैम्फलेट।

4. प्रमुख सार्वजनिक स्थानों : क) प्रमुख बस स्टेशन, ख) प्रमुख रेलवे स्टेशन, ग) प्रमुख बाजार, और घ) प्रमुख व्यापारिक जिले के संबंध में अभ्युक्तियां, टिप्पणियां दर्ज करने और गणना करने के लिए पैम्फलेट।

5. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आंकड़े करने हेतु पैम्फलेट।

6. ठोस कचरे के भूमि-भराव/डंपिंग स्थल से आंकड़े करने हेतु पैम्फलेट।

7. शहर में और उसके आसपास की खुली भूमि और जलाशयों (बहते जल जैसे नाले, नहरें, नदी और स्थिर जल जैसे पोखर, तालाब आदि) के संबंध में अभ्युक्तियों को दर्ज करने के लिए पैम्फलेट।

8. पेयजल और अन्य जलाशयों से जल के नमूने को एकत्र करने के लिए पैम्फलेट।

उपर्युक्त पैम्फलेट्स में से ज्यादातर में एकत्र आंकड़ों के साथ फोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगें।

संदर्भ

एनएफएचएस (2007) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) और मैक्रोस्कैन इंटरनेशनल, 2007

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, 2005-2006 भारत

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (2008), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

V आंकड़े एकत्र करने तथा संसाधित करने के लिए अपेक्षित पेशेवर अवधिः

तालिका (1) : शहरों में स्वच्छता हेतु रेटिंग - पेशेवर तैनाती हेतु सांकेतिक अनुमान						
	महानगर		**प्रति शहर दिनों व्यक्तियों औसत**			
सं.	**मद**	**नमूनों/ अध्ययन बिन्दुओं की संख्या**	**अनुसंधान कार्यकारी**	**फील्ड अन्वेषक**	**सभी**	**टिप्पणियां**
1	यूएलबी के साथ विचार विमर्श		5	2		
2	फील्ड दौर: मलिन बस्तियां	6	1.5	1.5		प्रत्येक स्थान पर 2-3 घंटें- 6 मलिन बस्ती 3 दिनों से अधिक
3	फील्ड दौरे: सार्वजनिक स्थान	8	2	2		प्रत्येक स्थान पर 1-2 घंटें- 4 स्थानों में 2 दिनों से अधिक
4	फील्ड दौरे: कॉलोनियां	8	2	2		प्रत्येक स्थान पर 1-2 घंटें- 4 स्थानों में 2 दिनों से अधिक
5	फील्ड दौरे: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	2	0.5			
6	फील्ड दौरे: ठोस कचरा भूमि-भराव और डंपिंग स्थल	2	0.5			
6	फील्ड दौरे: मुहाना क्षेत्रों, शहर की सड़कों, आदि सहित अन्य		0.5	0.5		
7	जल के नमूनों का संग्रह और हैंडलिंग संबंधी विशेष गतिविधियां			0.5		ज्यादातर उपर्युक्त गतिविधियों में शामिल
8	आंकड़ों का संसाधन, सत्यापन और विविध		1	0.5		
	कुल		**13**	**9**	**22**	

तालिका (2) : शहरों में स्वच्छता हेतु रेटिंग - पेशेवर तैनाती हेतु सांकेतिक अनुमान						
	महानगर		**प्रति शहर दिनों व्यक्तियों औसत**			
सं.	**मद**	**नमूनों/ अध्ययन बिन्दुओं की संख्या**	**अनुसंधान कार्यकारी**	**फील्ड अन्वेषक**	**सभी**	**टिप्पणियां**
1	यूएलबी के साथ विचार विमर्श		4	1		
2	फील्ड दौर: मलिन बस्तियां	6	1.5	1.5		प्रत्येक स्थान पर 2-3 घंटें- 6 मलिन बस्ती 3 दिनों से अधिक
3	फील्ड दौरे: सार्वजनिक स्थान	6	1.5	1.5		प्रत्येक स्थान पर 1-2 घंटें- 6 स्थानों में
4	फील्ड दौरे: कॉलोनियां	6	1.5	1.5		प्रत्येक स्थान पर 1-2 घंटें- 6 स्थानों में
5	फील्ड दौरे: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	2	0.5			
6	फील्ड दौरे: ठोस कचरा भूमि-भराव और डंपिंग स्थल	2	0.5			
6	फील्ड दौरे: मुहाना क्षेत्रों, शहर की सड़कों, आदि सहित अन्य		0.5	0.5		
7	जल के नमूनों का संग्रह और हैंडलिंग संबंधी विशेष गतिविधियां			0.5		ज्यादातर उपर्युक्त गतिविधियों में शामिल
8	आंकड़ों का संसाधन, सत्यापन और विविध		1	0.5		
	कुल		**11**	**7**	**18**	

तालिका (3) : शहरों में स्वच्छता हेतु रेटिंग - पेशेवर तैनाती हेतु सांकेतिक अनुमान						
	महानगर		**प्रति शहर दिनों व्यक्तियों औसत**			
सं.	**मद**	**नमूनों/ अध्ययन बिन्दुओं की संख्या**	**अनुसंधान कार्यकारी**	**फील्ड अन्वेषक**	**सभी**	**टिप्पणियां**
1	यूएलबी के साथ विचार विमर्श		2	0.5		
2	फील्ड दौर: मलिन बस्तियां	4	1	1		प्रत्येक स्थान पर 2-3 घंटें- 4 मलिन बस्ती 2 दिनों से अधिक
3	फील्ड दौरे: सार्वजनिक स्थान	4	1	1		प्रत्येक स्थान पर 1-2 घंटें- 4 स्थानों में
4	फील्ड दौरे: कॉलोनियां	4	1	1		प्रत्येक स्थान पर 1-2 घंटें- 4 स्थानों में
5	फील्ड दौरे: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	1	0.25			
6	फील्ड दौरे: ठोस कचरा भूमि-भराव और डंपिंग स्थल	1	0.25			
6	फील्ड दौरे: मुहाना क्षेत्रों, शहर की सड़कों, आदि सहित अन्य		0.25			
7	जल के नमूनों का संग्रह और हैंडलिंग संबंधी विशेष गतिविधियां			0.25		ज्यादातर उपर्युक्त गतिविधियों में शामिल
8	आंकड़ों का संसाधन, सत्यापन और विविध		0.25	0.25		
	कुल		**6**	**4**	**10**	

अनुलग्नक 3:

निर्मल शहर पुरस्कार: शहर की रेटिंग

पांच अनुबंध पैकेज (संकुल) के लिए पांच जोनों में वर्ग 1 शहरों का वितरण

सं	जोन	राज्य
I	उत्तर	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
II	पूर्व और पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, झारखंड, बंगाल
	मध्य और दक्षिण	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश,
III	मध्य	उड़ीसा
IV	पश्चिम	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान
V	दक्षिण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी

पाँच जोनों से आकार-वर्ग में शहरों का वितरण
(संख्या)

सं.	**जोन/शहर आकार वर्ग मध्य और दक्षिण**	**महानगर**	**बड़े वर्ग 1 के शहर**	**अन्य वर्ग 1 के शहर**	**सभी वर्ग 1 के शहर**
1	मध्य	1	5	82	88
2	पूर्व और पूर्वोत्तर	1	4	88	93
3	उत्तर	1	9	94	104
4	दक्षिण	2	3	63	68
5	पश्चिम	1	8	74	83
	कुल	**6**	**29**	**401**	**486**

वर्ग I के शहर (जनगणना 2001)

क्र. सं.	शहर	जिला	राज्य	जनसंख्या 2001	जोन
1	ग्रेटर मुंबई (एम कॉर्प.)	मुंबई (एस) और मुंबई	महाराष्ट्र	11978450	पश्चिम
2	डीएमसी (यू)	दिल्ली	दिल्ली	9879172	उत्तर
3	कोलकाता (एम कॉर्प.+ओजी)	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	4580546	पूर्व
4	चेन्नई (एम कॉर्प.)	चेन्नई	तमिलनाडु	4343645	दक्षिण
5	बंगलौर (एम कॉर्प.+ओजी)	बंगलोर	कर्नाटक	4313248	दक्षिण
6	हैदराबाद (एम कॉर्प.+ओजी)	हैदराबाद रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	3658510	मध्य और दक्षिण मध्य
	महानगर - 5 मिलियन से अधिक			***38,753,571***	
1	विजयवाड़ा (एम कॉर्प.+ओजी)	कृष्णा	आंध्र प्रदेश	945530	दक्षिण
2	विशाखापत्तनम (एम कॉर्प.+ओजी)	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	1042388	दक्षिण
3	भोपाल (एम कॉर्प.+ओजी)	भोपाल	मध्य प्रदेश	1458416	मध्य और दक्षिण मध्य
4	इंदौर (एम कॉर्प.+ओजी)	इंदोर	मध्य प्रदेश	1506062	मध्य और दक्षिण मध्य
5	जबलपुर (एम कॉर्प.+ओजी)	जबलपुर	मध्य प्रदेश	956107	मध्य और दक्षिण मध्य
6	पटना (एम कॉर्प.+ओजी)	पटना	बिहार	1432209	मध्य और दक्षिण मध्य
7	धनबाद (एम)	धनबाद	झारखंड	199258	मध्य और दक्षिण मध्य
8	जमशेदपुर (एनए + ओजी)	पूर्वी सिंहभूम	झारखंड	612534	पूर्व
9	आसनसोल (एम कॉर्प.)	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	475439	पूर्व

10	आगरा (एम कॉर्प.)	आगरा	उत्तर प्रदेश	1275134	पूर्व
11	इलाहाबाद (एम कॉर्प.+ओजी)	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1018092	पूर्व
12	कानपुर (एम कॉर्प.+ओजी)	कानपुर नगर	उत्तर प्रदेश	2555811	उत्तर
13	लखनऊ (एम कॉर्प.)	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2185927	उत्तर
14	मेरठ (एम कॉर्प.)	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1068772	उत्तर
15	वाराणसी (एम कॉर्प.+ओजी)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1103952	उत्तर
16	फरीदाबाद (एम कॉर्प.)	फरीदाबाद	हरियाणा	1055938	उत्तर
17	अमृतसर (एम कॉर्प.+ओजी)	अमृतसर	पंजाब	1003917	उत्तर
18	लुधियाना (एम कॉर्प.)	लुधियाना	पंजाब	1398467	उत्तर
19	कोच्चि (एम कॉर्प.+ओजी)	एर्नाकुलम	केरल	688604	उत्तर
20	कोयम्बटूर (एम कार्पोरेशन)	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	930882	उत्तर
21	मदुरै (एम कॉर्प.)	मदुरै	तमिलनाडु	928869	दक्षिण
22	अहमदाबाद (एम कॉर्प.+ओजी)	अहमदाबाद	गुजरात	3694974	दक्षिण
23	राजकोट (एम कॉर्प.+ओजी)	राजकोट	गुजरात	1003015	दक्षिण
24	सूरत (एम कॉर्प.+ओजी)	सूरत	गुजरात	2702304	पश्चिम
25	वडोदरा (एम कॉर्प.+ओजी)	वडोदरा	गुजरात	1411228	पश्चिम
26	नागपुर (एम कॉर्प.)	नागपुर	महाराष्ट्र	2052066	पश्चिम
27	नासिक (एम कॉर्प.)	नासिक	महाराष्ट्र	1077236	पश्चिम
28	पुणे (एम कॉर्प.)	पुणे	महाराष्ट्र	2538473	पश्चिम
29	जयपुर (एम कॉर्प.)	जयपुर	राजस्थान	2322575	पश्चिम
बड़े वर्ग I के शहर - मिलियन से ऊपर 5 लाख से अधिक (29 शहरों में)				**40,644,179**	
*	*थाणे (एम कॉर्प.)*	*थाणे*	*महाराष्ट्र*	*1262551*	

*	*कल्याण-दोमबिवली (एम कॉर्प.)*	*थाणे*	*महाराष्ट्र*	*1193512*	
*	*पिंपरी चिंचवाड़ (एम कॉर्प.)*	*पुणे*	*महाराष्ट्र*	*1012472*	
*	*हावड़ा (एम कॉर्प.)*	*हावड़ा*	*पश्चिम बंगाल*	*1007532*	
1	वारंगल (एम कॉर्प.+ओजी)	वारंगल	आंध्र प्रदेश	579216	मध्य और दक्षिण मध्य
2	गुंटूर (एम कॉर्प.)	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	514461	मध्य और दक्षिण मध्य
3	नेल्लोर (एम+ओजी)	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	404775	मध्य और दक्षिण मध्य
4	राजहमुन्द्रै (एम कॉर्प.+ओजी)	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	374721	मध्य और दक्षिण मध्य
5	काकीनाडा (एम+ओजी)	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	335299	मध्य और दक्षिण मध्य
6	कुकटपल्ली (एम)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	292289	मध्य और दक्षिण मध्य
7	निजामाबाद (एम)	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	288722	मध्य और दक्षिण मध्य
8	लाल बहादुर नगर (एम+ओजी)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	287781	मध्य और दक्षिण मध्य
9	गजुवाका (एम+ओजी)	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	276552	मध्य और दक्षिण मध्य
10	कर्नूल (एम कॉर्प.)	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	269122	मध्य और दक्षिण मध्य
11	तिरुपति (एम+ओजी)	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	244990	मध्य और दक्षिण मध्य
12	अनंतपुर (एम+ओजी)	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	243143	मध्य और दक्षिण मध्य
13	रामागुंडम (एम+ओजी)	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	237686	मध्य और दक्षिण मध्य
14	कुतुबुल्लापुर (एम)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	231108	मध्य और दक्षिण मध्य

15	करीमनगर (एम+ओजी)	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	218302	मध्य और दक्षिण मध्य
16	एलूरु (एम+ओजी)	पश्चिम गोदावरी	आंध्र प्रदेश	215804	मध्य और दक्षिण मध्य
17	सिकंदराबाद कैंट बोर्ड (सीबी)	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	206102	मध्य और दक्षिण मध्य
18	खम्मम (एम+ओजी)	खम्मम	आंध्र प्रदेश	198620	मध्य और दक्षिण मध्य
19	मलकाजगिरी (एम)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	193863	मध्य और दक्षिण मध्य
20	मचिलीपत्तनम (एम)	कृष्णा	आंध्र प्रदेश	179353	मध्य और दक्षिण मध्य
21	विजियनगरम (एम+ओजी)	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	176023	मध्य और दक्षिण मध्य
22	राजेंद्रनगर (एम+ओजी)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	163115	मध्य और दक्षिण मध्य
23	अदोनी (एम+ओजी)	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	162458	मध्य और दक्षिण मध्य
24	कपरा (एम)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	159002	मध्य और दक्षिण मध्य
25	नांदयाल (एम+ओजी)	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	157120	मध्य और दक्षिण मध्य
26	ओंगोले (एम+ओजी)	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	153829	मध्य और दक्षिण मध्य
27	तेनाली (एम)	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	153756	मध्य और दक्षिण मध्य
28	सेरीलिंगमपल्ली (एम)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	153364	मध्य और दक्षिण मध्य
29	चित्तूर (एम)	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	152654	मध्य और दक्षिण मध्य
30	प्रोद्दतुर (एम)	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	150309	मध्य और दक्षिण मध्य
31	कुडप्पा (एम+ओजी)	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	148039	मध्य और

					दक्षिण मध्य
32	भीमावरम (एम+ओजी)	पश्चिम गोदावरी	आंध्र प्रदेश	142064	मध्य और दक्षिण मध्य
33	महबूबनगर (एम+ओजी)	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश	139662	मध्य और दक्षिण मध्य
34	चिराला (एम+ओजी)	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	129242	मध्य और दक्षिण मध्य
35	हिन्दुपुर (एम)	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	125074	मध्य और दक्षिण मध्य
36	उप्पल कलां (एम+ओजी)	रंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	118085	मध्य और दक्षिण मध्य
37	श्रीकाकुलम (एम+ओजी)	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	117320	मध्य और दक्षिण मध्य
38	गुंतकल (एम)	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	117103	मध्य और दक्षिण मध्य
39	गुडिवाडा (एम)	कृष्णा	आंध्र प्रदेश	113054	मध्य और दक्षिण मध्य
40	नलगोंडा (एम+ओजी)	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश	111380	मध्य और दक्षिण मध्य
41	आदिलाबाद (एम)	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	109529	मध्य और दक्षिण मध्य
42	मदनापल्ली (एम+ओजी)	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	107449	मध्य और दक्षिण मध्य
43	धर्मावरम (एम)	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	103357	मध्य और दक्षिण मध्य
44	टाडेपल्लीगुडम (एम)	पश्चिम गोदावरी	आंध्र प्रदेश	102622	मध्य और दक्षिण मध्य
45	रायपुर (एम कॉर्प.+ओजी)	रायपुर	छत्तीसगढ	670042	मध्य और दक्षिण मध्य
46	भिलाई नगर (एम कॉर्प.)	दुर्ग	छत्तीसगढ	556366	मध्य और दक्षिण मध्य
47	कोरबा (एम कॉर्प.)	कोरबा *	छत्तीसगढ	315690	मध्य और दक्षिण मध्य

48	बिलासपुर (एम कॉर्प.+ओजी)	बिलासपुर	छत्तीसगढ	295235	मध्य और दक्षिण मध्य
49	दुर्ग (एम कॉर्प.)	दुर्ग	छत्तीसगढ	232517	मध्य और दक्षिण मध्य
50	राजनांदगांव (एम कॉर्प.)	राजनांदगांव	छत्तीसगढ	143770	मध्य और दक्षिण मध्य
51	रायगढ़ (एम+ओजी)	रायगढ़	छत्तीसगढ	115908	मध्य और दक्षिण मध्य
52	ग्वालियर (एम कॉर्प.)	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	827026	मध्य और दक्षिण मध्य
53	उज्जैन (एम कॉर्प.+ओजी)	उज्जैन	मध्य प्रदेश	431162	मध्य और दक्षिण मध्य
54	सागर (एम कॉर्प.+ओजी)	सागर	मध्य प्रदेश	244721	मध्य और दक्षिण मध्य
55	देवास (एम कॉर्प.)	देवास	मध्य प्रदेश	231672	मध्य और दक्षिण मध्य
56	सतना (एम कॉर्प.+ओजी)	सतना	मध्य प्रदेश	229307	मध्य और दक्षिण मध्य
57	रतलाम (एम कॉर्प.)	रतलाम	मध्य प्रदेश	222202	मध्य और दक्षिण मध्य
58	बुरहानपुर (एम कॉर्प.)	पूर्व निमाड़	मध्य प्रदेश	193725	मध्य और दक्षिण मध्य
59	मुरवारा (कटनी) (एम कॉर्प.)	कटनी *	मध्य प्रदेश	187029	मध्य और दक्षिण मध्य
60	सिंगरौली (एम कॉर्प.)	सीधी	मध्य प्रदेश	185190	मध्य और दक्षिण मध्य
61	रीवा (एम कॉर्प.)	रीवा	मध्य प्रदेश	183274	मध्य और दक्षिण मध्य
62	खंडवा (एम कॉर्प.)	पूर्व निमाड़	मध्य प्रदेश	172242	मध्य और दक्षिण मध्य
63	भिंड (एम)	भिंड	मध्य प्रदेश	153752	मध्य और दक्षिण मध्य
64	छिंदवाड़ा (एम+ओजी)	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	153552	मध्य और

					दक्षिण मध्य
65	मुरैना (एम)	मुरैना	मध्य प्रदेश	150959	मध्य और दक्षिण मध्य
66	शिवपुरी (एम)	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	146892	मध्य और दक्षिण मध्य
67	गुना (एम)	गुना	मध्य प्रदेश	137175	मध्य और दक्षिण मध्य
68	दमोह (एम+ओजी)	दमोह	मध्य प्रदेश	127967	मध्य और दक्षिण मध्य
69	विदिशा (एम)	विदिशा	मध्य प्रदेश	125453	मध्य और दक्षिण मध्य
70	मंदसौर (एम+ओजी)	मंदसौर	मध्य प्रदेश	117555	मध्य और दक्षिण मध्य
71	नीमच (एम+ओजी)	नीमच *	मध्य प्रदेश	112852	मध्य और दक्षिण मध्य
72	छतरपुर (एम+ओजी)	छतरपुर	मध्य प्रदेश	109078	मध्य और दक्षिण मध्य
73	खरगोन (एम+ओजी)	पश्चिम निमाड़	मध्य प्रदेश	103448	मध्य और दक्षिण मध्य
74	बारीपदा (एम+ओजी)	मयूरभंज	उड़ीसा	100651	मध्य और दक्षिण मध्य
75	बालेश्वर (एम+ओजी)	बालेश्वर	उड़ीसा	127358	मध्य और दक्षिण मध्य
76	संबलपुर (एम+ओजी)	संबलपुर	उड़ीसा	157253	मध्य और दक्षिण मध्य
77	पुरी (एम)	पुरी	उड़ीसा	157837	मध्य और दक्षिण मध्य
78	राउरकेला इंडस्ट्रियल टाउनशिप (आईटीएस+ओजी)	सुंदरगढ़	उड़ीसा	213360	मध्य और दक्षिण मध्य
79	राउरकेला (एम+ओजी)	सुंदरगढ़	उड़ीसा	259553	मध्य और दक्षिण मध्य
80	ब्रह्मपुर (एम)	गंजम	उड़ीसा	307792	मध्य और

					दक्षिण मध्य
81	कट्टक, (एम कॉर्प.)	कटक	उड़ीसा	534654	मध्य और दक्षिण मध्य
82	भुबनेश्वर (एम कॉर्प.+ओजी)	खोर्धा *	उड़ीसा	658220	मध्य और दक्षिण मध्य
	मध्य और दक्षिण मध्य अन्य वर्ग I के शहर (1,00,000 से अधिक 1000,000 तक जनसंख्या वाले)			**8,449,958**	
1	तिनसुकिया (एमबी+ओजी)	तिनसुकिया	असम	101957	पूर्व
2	नौगांव (एमबी+ओजी)	नगांव	असम	108786	पूर्व
3	जोरहाट (एमबी+ओजी)	जोरहट	असम	120415	पूर्व
4	डिब्रूगढ़ (एमबी+ओजी)	डिब्रूगढ़	असम	133571	पूर्व
5	सिलचर (एमबी+ओजी)	कछार	असम	156948	पूर्व
6	गुवाहाटी (एम कॉर्प.+ओजी)	कामरूप	असम	818809	पूर्व
7	मोतिहारी (एम)	पूर्ब चंपारण	बिहार	100683	पूर्व
8	सीवान (एम)	सिवान	बिहार	109919	पूर्व
9	बेतिया (एम)	पश्चिम चंपारण	बिहार	116670	पूर्व
10	डेहरी (एम)	रोहतास	बिहार	119057	पूर्व
11	हाजीपुर (एम)	वैशाली	बिहार	119412	पूर्व
12	सहरसा (एम)	सहरसा	बिहार	125167	पूर्व
13	सासाराम (एम)	रोहतास	बिहार	131172	पूर्व
14	दीनापुर निजामत (एम)	पटना	बिहार	131176	पूर्व
15	पूर्णिया (एम)	पूर्णिया	बिहार	171687	पूर्व
16	छपरा (एम)	सरन	बिहार	179190	पूर्व
17	मुंगेर (एम)	मुंगेर	बिहार	188050	पूर्व
18	कटिहार (एम+ओजी)	कटिहार	बिहार	190873	पूर्व
19	अर्रह (एम)	भोजपुर	बिहार	203380	पूर्व
20	बिहार (एम)	नालंदा	बिहार	232071	पूर्व
21	दरभंगा (एम कॉर्प.)	दरभंगा	बिहार	267348	पूर्व
22	मुजफ्फरपुर (एम कॉर्प.)	मुजफ्फरपुर	बिहार	305525	पूर्व
23	भागलपुर (एम कॉर्प.)	भागलपुर	बिहार	340767	पूर्व

24	गया (एम कॉर्प.+ओजी)	गया	बिहार	389192	पूर्व
25	आदित्यपुर (एनए)	पश्चिमी सिंहभूम	झारखंड	119233	पूर्व
26	हजारीबाग (एम)	हजारीबाग	झारखंड	127269	पूर्व
27	मैंगो (एनए)	पूर्बी सिंहभूम	झारखंड	166125	पूर्व
28	बोकारो स्टील सिटी (सीटी)	बोकारो *	झारखंड	393805	पूर्व
29	रांची (एम कॉर्प.)	रांची	झारखंड	847093	पूर्व
30	इम्फाल (एम सी1+ओजी)	इंफाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व	मणिपुर	228419	पूर्व
31	शिल्लोंग (एम)	पूर्वी खासी हिल्स	मेघालय	132867	पूर्व
32	आइजोल (एनटी)	आइजोल	मिजोरम	228280	पूर्व
33	जलपाईगुड़ी (एम)	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	100348	पूर्व
34	दमदम (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	101296	पूर्व
35	बैगाओं (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	102163	पूर्व
36	चमपदानी (एम)	हुगली	पश्चिम बंगाल	103246	पूर्व
37	भद्रेश्वर (एम)	हुगली	पश्चिम बंगाल	106071	पूर्व
38	बाँसबेरिया (एम+ओजी)	हुगली	पश्चिम बंगाल	107081	पूर्व
39	दार्जिलिंग (एम)	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	107197	पूर्व
40	बैद्यबाटी (एम)	हुगली	पश्चिम बंगाल	108229	पूर्व
41	अशोकनगर कल्याणगढ़ (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	111607	पूर्व
42	बसिरहाट (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	113159	पूर्व
43	रिश्रा (एम)	हुगली	पश्चिम बंगाल	113305	पूर्व
44	पुरुलिया (एम)	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	113806	पूर्व
45	नवद्वीप (एम)	नादिया	पश्चिम बंगाल	115016	पूर्व
46	करदहा (एम+ओजी)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	122133	पूर्व
47	रानीगंज (एम+ओजी)	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	122781	पूर्व
48	उत्तर बर्रक्पुर (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	123668	पूर्व

49	टीटागढ़ (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	124213	पूर्व
50	हाब्रा (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	127602	पूर्व
51	बांकुड़ा (एम)	बांकुरा	पश्चिम बंगाल	128781	पूर्व
52	हालिसहर (एम+ओजी)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	130621	पूर्व
53	जमुरिया (एम+ओजी)	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	132785	पूर्व
54	कांचरापाड़ा (एम+ओजी)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	135198	पूर्व
55	शांतीपुर (एम)	नादिया	पश्चिम बंगाल	138235	पूर्व
56	कृष्णानगर (एम)	नादिया	पश्चिम बंगाल	139110	पूर्व
57	बालुरघाट (एम+ओजी)	दक्षिण दिनाजपुर *	पश्चिम बंगाल	143321	पूर्व
58	बर्रक्पुर (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	144391	पूर्व
59	मेदिनीपुर (एम)	मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	149769	पूर्व
60	उत्तरपाड़ा कोटरंग (एम)	हुगली	पश्चिम बंगाल	150363	पूर्व
61	मध्यमग्राम (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	155451	पूर्व
62	बरहाम्पुर (एम)	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	160143	पूर्व
63	इंग्लिश बाज़ार (एम)	मालदा	पश्चिम बंगाल	161456	पूर्व
64	चन्दननगर (एम कॉर्प.)	हुगली	पश्चिम बंगाल	162187	पूर्व
65	बिधान नगर (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	164221	पूर्व
66	रायगंज (एम)	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल	165212	पूर्व
67	हल्दिया (एम)	मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	170673	पूर्व
68	हुगली- चिनसुरा (एम+ओजी)	हुगली	पश्चिम बंगाल	184173	पूर्व
69	खड़गपुर (एम)	मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	188761	पूर्व
70	श्रीरामपुर (एम)	हुगली	पश्चिम बंगाल	197857	पूर्व
71	नैहाटी (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	215303	पूर्व

72	उलूबेरिया (एम+ओजी)	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	215405	पूर्व
73	उत्तर दमदम (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	220042	पूर्व
74	बारासात (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	231521	पूर्व
75	बडनगर (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	250768	पूर्व
76	बल्ली (एम)	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	260906	पूर्व
77	राजारहाट गोपालपुर (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	271811	पूर्व
78	बर्द्धमान (एम)	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	285602	पूर्व
79	कुल्टी (एम)	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	289903	पूर्व
80	कमर्हति (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	314507	पूर्व
81	राजपुर सोनारपुर (एम)	दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल	336707	पूर्व
82	पनीहती (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	348438	पूर्व
83	महेशतला (एम)	दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल	385266	पूर्व
84	दक्षिण दमदम (एम)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	392444	पूर्व
85	भाटपारा (एम+ओजी)	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	444655	पूर्व
86	सिलीगुड़ी (एम कॉर्प.)	दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	472374	पूर्व
87	दुर्गापुर (एम कॉर्प.)	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	493405	पूर्व
88	अगरतला एमसी1	पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा	189998	पूर्व
	पूर्व और पूर्वोत्तर अन्य वर्ग I के शहर (1,00,000 से अधिक 1000,000 तक जनसंख्या वाले)				**17,849,600**
1	चंडीगढ़ (एम कॉर्प.)	चंडीगढ़	चंडीगढ़	808515	उत्तर
2	देवली (सीटी)	दक्षिण *	दिल्ली	119468	उत्तर
3	दिल्ली कैंट	दक्षिण पश्चिम *	दिल्ली	124917	उत्तर

4	डल्लो पुरा (सीटी)	पूर्व *	दिल्ली	132621	उत्तर
5	करावल नगर (सीटी)	दिल्ली	दिल्ली	148624	उत्तर
6	नांगलोई जाट (सीटी)	दिल्ली	दिल्ली	150948	उत्तर
7	भलस्वा जहांगीर पुर (सीटी)	उत्तर पश्चिम *	दिल्ली	152339	उत्तर
8	किराड़ी सुलेमान नगर (सीटी)	दिल्ली	दिल्ली	154633	उत्तर
9	सुल्तान पुर माजरा (सीटी)	दिल्ली	दिल्ली	164426	उत्तर
10	एन.डी.एम.सी.	दिल्ली	दिल्ली	302363	उत्तर
11	रेवाड़ी (एम सी1)	रेवाड़ी	हरियाणा	100684	उत्तर
12	पलवल (एम सी1)	फरीदाबाद	हरियाणा	100722	उत्तर
13	जगाधरी (एम सी1)	यमुनानगर	हरियाणा	101290	उत्तर
14	अंबाला सदर (एम सी1)	अंबाला	हरियाणा	106568	उत्तर
15	कैथल (एम सी1)	कैथल	हरियाणा	117285	उत्तर
16	थानेसर (एम सी1+ओजी)	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	122319	उत्तर
17	बहादुरगढ़ (एम सी1+ओजी)	झज्जर *	हरियाणा	126746	उत्तर
18	जींद (एम सी1)	जींद	हरियाणा	135855	उत्तर
19	पंचकूला अर्बन एस्टेट (ईओ)	पंचकूला *	हरियाणा	140925	उत्तर
20	सिरसा (एम सी1)	सिरसा	हरियाणा	160735	उत्तर
21	भिवानी (एम सी1)	भिवानी	हरियाणा	169531	उत्तर
22	यमुनानगर (एम सी1)	यमुनानगर	हरियाणा	189696	उत्तर
23	गुड़गांव (एम सी1+ओजी)	गुडगाँव	हरियाणा	201322	उत्तर
24	करनाल (एम सी1+ओजी)	करनाल	हरियाणा	221236	उत्तर
25	सोनीपत (एम सी1+ओजी)	सोनीपत	हरियाणा	225074	उत्तर
26	हिसार (एम सी1+ओजी)	हिसार	हरियाणा	263186	उत्तर

27	पानीपत (एम सी1+ओजी)	पानीपत	हरियाणा	268899	उत्तर
28	रोहतक (एम सी1+ओजी)	रोहतक	हरियाणा	294577	उत्तर
29	शिमला (एम कॉर्प.)	शिमला	हिमाचल प्रदेश	142555	उत्तर
30	जम्मू (एम सी + ओजी)	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	549791	उत्तर
31	श्रीनगर (एम सी + ओजी)	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	952324	उत्तर
32	फगवाड़ा (एम सी1+ओजी)	कपूरथला	पंजाब	102253	उत्तर
33	खन्ना (एम सी1)	लुधियाना	पंजाब	103099	उत्तर
34	मलेरकोटला (एम सी1)	संगरूर	पंजाब	107009	उत्तर
35	एस.ए.एस.नगर (मोहाली) (एम सी1)	रूपनगर	पंजाब	123484	उत्तर
36	अबोहर (एम सी1)	फिरोजपुर	पंजाब	124339	उत्तर
37	मोगा (एम सी1+ओजी)	मोगा *	पंजाब	135279	उत्तर
38	बटाला (एम सी1+ओजी)	गुरदासपुर	पंजाब	147872	उत्तर
39	होशियारपुर (एम सी1)	होशियारपुर	पंजाब	149668	उत्तर
40	पठानकोट (एम सी1+ओजी)	गुरदासपुर	पंजाब	168485	उत्तर
41	बठिंडा (एम सी1)	बठिंडा	पंजाब	217256	उत्तर
42	पटियाला (एम कॉर्प.+ओजी)	पटियाला	पंजाब	323884	उत्तर
43	जालंधर (एम कॉर्प.+ओजी)	जालंधर	पंजाब	714077	उत्तर
44	सुल्तानपुर (एमबी)	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	100065	उत्तर
45	कानपुर (सीबी)	कानपुर नगर	उत्तर प्रदेश	100796	उत्तर
46	बलिया (एमबी)	बलिया	उत्तर प्रदेश	101465	उत्तर
47	गाजीपुर (एमबी+ओजी)	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	103298	उत्तर
48	चंदौसी (एमबी)	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	103749	उत्तर

49	देवरिया (एमबी)	देवरिया	उत्तर प्रदेश	104227	उत्तर
50	मैनपुरी (एमबी+ओजी)	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	104851	उत्तर
51	एटा (एमबी)	एटा	उत्तर प्रदेश	107110	उत्तर
52	बस्ती (एमबी)	बस्ती	उत्तर प्रदेश	107601	उत्तर
53	ललितपुर (एमबी)	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	111892	उत्तर
54	हरदोई (एमबी)	हरदोई	उत्तर प्रदेश	112486	उत्तर
55	मोदीनगर (एमबी)	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	113218	उत्तर
56	गोंडा (एमबी)	गोंडा	उत्तर प्रदेश	120301	उत्तर
57	लोनी (एनपी)	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	120945	उत्तर
58	लखीमपुर (एमबी)	खीरी	उत्तर प्रदेश	121486	उत्तर
59	पीलीभीत (एमबी)	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	124245	उत्तर
60	हाथरस (एमबी+ओजी)	हाथरस *	उत्तर प्रदेश	126355	उत्तर
61	उरई (एमबी)	जालौन	उत्तर प्रदेश	139318	उत्तर
62	बांदा (एमबी+ओजी)	बांदा	उत्तर प्रदेश	139436	उत्तर
63	उन्नाव (एमबी)	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	144662	उत्तर
64	फैजाबाद (एमबी)	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	144705	उत्तर
65	बदायूँ (एमबी)	बदायूँ	उत्तर प्रदेश	148029	उत्तर
66	सीतापुर (एमबी)	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	151908	उत्तर
67	फतेहपुर (एमबी)	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	152078	उत्तर
68	जौनपुर (एमबी)	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	160055	उत्तर
69	अमरोहा (एमबी)	ज्योतिबा फुले नगर *	उत्तर प्रदेश	165129	उत्तर
70	बहराइच (एमबी)	बहराइच	उत्तर प्रदेश	168323	उत्तर
71	रायबरेली (एमबी)	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	169333	उत्तर
72	बुलंदशहर (एमबी)	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	176425	उत्तर
73	सम्भल (एमबी)	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	182478	उत्तर
74	मिर्जापुर-सह-विंध्याचल (एमबी)	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	205053	उत्तर
75	इटावा (एमबी)	इटावा	उत्तर प्रदेश	210453	उत्तर
76	हापुड़ (एमबी)	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	211983	उत्तर
77	मऊनाथ भंजन (एमबी)	मऊ	उत्तर प्रदेश	212657	उत्तर
78	फर्रुखाबाद-सह-फतेहगढ़	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	228333	उत्तर

79	रामपुर (एमबी)	रामपुर	उत्तर प्रदेश	281494	उत्तर
80	शाहजहांपुर (एमबी+ओजी)	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	301393	उत्तर
81	मथुरा (एमबी)	मथुरा	उत्तर प्रदेश	302770	उत्तर
82	नोएडा (सीटी)	गौतम बुद्ध नगर*	उत्तर प्रदेश	305058	उत्तर
83	मुजफ्फरनगर (एमबी+ओजी)	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	331668	उत्तर
84	फिरोजाबाद (एमबी+ओजी)	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	397606	उत्तर
85	झांसी (एमबी+ओजी)	झाँसी	उत्तर प्रदेश	426198	उत्तर
86	सहारनपुर (एमबी)	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	455754	उत्तर
87	गोरखपुर (एम कॉर्प.)	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	622701	उत्तर
88	मुरादाबाद (एम कॉर्प.)	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	641583	उत्तर
89	अलीगढ़ (एम कॉर्प.)	अलीगढ	उत्तर प्रदेश	669087	उत्तर
90	बरेली (एम कॉर्प.+ओजी)	बरेली	उत्तर प्रदेश	720315	उत्तर
91	गाजियाबाद (एम कॉर्प.)	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	968256	उत्तर
92	हल्द्वानी-सह-काठगोदाम	नैनीताल	उत्तरांचल	158896	उत्तर
93	(एमबी+ओजी)	हरिद्वार	उत्तरांचल	177509	उत्तर
94	हरिद्वार (एमबी+ओजी)	देहरादून	उत्तरांचल	426674	उत्तर
	उत्तर वर्ग I के शहर (1,00,000 से अधिक 1000,000 तक जनसंख्या वाले)			**21,548,289**	
1	चिकमगलूर (सीएमसी)	चिकमगलूर	कर्नाटक	101251	दक्षिण
2	गंगावती (सीएमसी+ओजी)	कोप्पल	कर्नाटक	101392	दक्षिण
3	पत्तनगरे (सीएमसी+ओजी)	बंगलोर	कर्नाटक	105699	दक्षिण
4	कोलार (सीएमसी)	कोलार	कर्नाटक	113907	दक्षिण
5	हसन (सीएमसी+ओजी)	हसन	कर्नाटक	121874	दक्षिण
6	चित्रदुर्ग (सीएमसी+ओजी)	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	125170	दक्षिण

7	उडुपी (सीएमसी+ओजी)	उडुपी *	कर्नाटक	127124	दक्षिण
8	मंड्या (सीएमसी)	मंड्या	कर्नाटक	131179	दक्षिण
9	महादेवपुर (सीएमसी+ओजी)	बंगलोर	कर्नाटक	154223	दक्षिण
10	गदग- बेटिगेरी (सीएमसी)	गदग *	कर्नाटक	154982	दक्षिण
11	रॉबर्टसन पालतू पशु (सीएमसी+ओजी)	कोलार	कर्नाटक	157084	दक्षिण
12	भद्रावती (सीएमसी)	शिमोगा	कर्नाटक	160662	दक्षिण
13	होसपेट (सीएमसी)	बेल्लारी	कर्नाटक	164240	दक्षिण
14	बीदर (सीएमसी+ओजी)	बीदर	कर्नाटक	174257	दक्षिण
15	कृष्णराजपुरा (सीएमसी)	बंगलोर	कर्नाटक	186210	दक्षिण
16	ब्यतरायणपुरा (सीएमसी+ओजी)	बंगलोर	कर्नाटक	200530	दक्षिण
17	रायचूर (सीएमसी)	रायचूर	कर्नाटक	207421	दक्षिण
18	बोम्मानाहल्ली (सीएमसी+ओजी)	बंगलोर	कर्नाटक	230181	दक्षिण
19	तुमकुर (सीएमसी)	तुमकुर	कर्नाटक	248929	दक्षिण
20	बीजापुर (सीएमसी+ओजी)	बीजापुर	कर्नाटक	253891	दक्षिण
21	शिमोगा (सीएमसी)	शिमोगा	कर्नाटक	274352	दक्षिण
22	दसरहल्ली (सीएमसी+ओजी)	बंगलोर	कर्नाटक	293359	दक्षिण
23	बेल्लारी (सीएमसी)	बेल्लारी	कर्नाटक	316766	दक्षिण
24	दावणगेरे (सीएमसी)	दावणगेरे	कर्नाटक	364523	दक्षिण
25	मंगलौर (एम कॉर्प.+ओजी)	दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक	416262	दक्षिण
26	गुलबर्गा (एम कॉर्प.+ओजी)	गुलबर्गा	कर्नाटक	430265	दक्षिण
27	बेलगाम (एम कॉर्प.+ओजी)	बेलगाम	कर्नाटक	454999	दक्षिण
28	हुबली-धारवाड़ (एम कॉर्प.)	धारवाड़	कर्नाटक	786195	दक्षिण

29	मैसूर (एम कॉर्प.+ओजी)	मैसूर	कर्नाटक	787179	दक्षिण
30	चेरथाला (एम+ओजी)	अलाप्पुझा	केरल	100187	दक्षिण
31	कान्हागढ़ (एम+ओजी)	कासरगोड	केरल	129367	दक्षिण
32	कोट्टायम (एम+ओजी)	कोट्टायम	केरल	129894	दक्षिण
33	पलक्कड़ (एम+ओजी)	पलक्कड़	केरल	197369	दक्षिण
34	अलप्पुझा (एम+ओजी)	अलाप्पुझा	केरल	239384	दक्षिण
35	त्रिशूर (एम कॉर्प.)	त्रिशूर	केरल	317526	दक्षिण
36	कोल्लम (एम कॉर्प.+ओजी)	कोल्लम	केरल	380091	दक्षिण
37	कोझीकोड (एम कॉर्प.+ओजी)	कोझीकोड	केरल	620108	दक्षिण
38	तिरुवनंतपुरम (एम कॉर्प + ओजी)	तिरुवनंतपुरम	केरल	889635	दक्षिण
39	ओजुकराई (एम)	पांडिचेरी	पांडिचेरी	217707	दक्षिण
40	पांडिचेरी (एम+ओजी)	पांडिचेरी	पांडिचेरी	244058	दक्षिण
41	पुदुक्कोट्टई (एम)	पुदुक्कोट्टई	तमिलनाडु	109217	दक्षिण
42	राजपलायम (एम)	विरुधुनगर	तमिलनाडु	122307	दक्षिण
43	नेवेली (टीएस)	कुड्डालोर	तमिलनाडु	127552	दक्षिण
44	तिरुवन्नामलाई (एम)	तिरुवन्नामलाई	तमिलनाडु	130567	दक्षिण
45	ताम्बरम (एम)	कांचीपुरम	तमिलनाडु	137933	दक्षिण
46	कुंभकोणम (एम)	तंजावुर	तमिलनाडु	139954	दक्षिण
47	पल्लावरम (एम)	कांचीपुरम	तमिलनाडु	144623	दक्षिण
48	अलान्दुर (एम)	कांचीपुरम	तमिलनाडु	146287	दक्षिण
49	इरोड (एम)	इरोड	तमिलनाडु	150541	दक्षिण
50	कांचीपुरम (एम)	कांचीपुरम	तमिलनाडु	153140	दक्षिण
51	कुड्डालोर (एम)	कुड्डालोर	तमिलनाडु	158634	दक्षिण
52	वेल्लोर (एम)	वेल्लोर	तमिलनाडु	177230	दक्षिण
53	डिंडीगुल (एम)	डिंडीगुल	तमिलनाडु	196955	दक्षिण
54	नागरकोइल (एम)	कन्याकुमारी	तमिलनाडु	208179	दक्षिण
55	तिरुवोट्टियुर (एम)	तिरूवल्लुर	तमिलनाडु	212281	दक्षिण
56	तंजावुर (एम)	तंजावुर	तमिलनाडु	215314	दक्षिण
57	थुथुकुड्डी (एम)	थुथुकुड्डी	तमिलनाडु	216054	दक्षिण

58	अवादी (एम)	तिरूवल्लुर	तमिलनाडु	229403	दक्षिण
59	अंबात्तुर (एम)	तिरूवल्लुर	तमिलनाडु	310967	दक्षिण
60	तिरुपूर (एम)	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	344543	दक्षिण
61	तिरुनेलवेली (एम कॉर्प.)	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	411831	दक्षिण
62	सलेम (एम कॉर्प.)	सलेम	तमिलनाडु	696760	दक्षिण
63	तिरुचिरापल्ली (एम कॉर्प.)	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	752066	दक्षिण
	दक्षिण अन्य वर्ग I के शहर (1,00,000 से अधिक 1000,000 तक जनसंख्या वाले)			***16,301,770***	
1	जेतपुर नवगढ़ (एम)	राजकोट	गुजरात	104312	पश्चिम
2	घटलोदिया (एम+ओजी)	अहमदाबाद	गुजरात	109467	पश्चिम
3	कलोल (एम+ओजी)	गांधीनगर	गुजरात	112013	पश्चिम
4	पाटन (एम+ओजी)	पाटन *	गुजरात	113749	पश्चिम
5	वेजलपुर (एम+ओजी)	अहमदाबाद	गुजरात	116086	पश्चिम
6	पालनपुर (एम+ओजी)	बनास कांथा	गुजरात	122300	पश्चिम
7	गोधरा (एम+ओजी)	पंच महल	गुजरात	131172	पश्चिम
8	भुज (एम+ओजी)	कच्छ	गुजरात	136429	पश्चिम
9	मेहसाणा (एम+ओजी)	मेहसाणा	गुजरात	141453	पश्चिम
10	गांधीधाम (एम)	कच्छ	गुजरात	151693	पश्चिम
11	आनंद (एम+ओजी)	आनंद *	गुजरात	156050	पश्चिम
12	सुरेंद्रनगर दुधरेज (एम)	सुरेंद्रनगर	गुजरात	156161	पश्चिम
13	वेरावल (एम+ओजी)	जूनागढ़	गुजरात	158032	पश्चिम
14	पोरबंदर (एम+ओजी)	पोरबंदर *	गुजरात	158856	पश्चिम
15	नवसारी (एम+ओजी)	नवसारी *	गुजरात	162250	पश्चिम
16	भरूच (एम+ओजी)	भरूच	गुजरात	167117	पश्चिम
17	मोरवी (एम+ओजी)	राजकोट	गुजरात	178055	पश्चिम
18	गांधीनगर (एनएसी)	गांधीनगर	गुजरात	195985	पश्चिम
19	नाडियाड (एम+ओजी)	खेड़ा	गुजरात	196793	पश्चिम
20	जूनागढ़ (एम+ओजी)	जूनागढ़	गुजरात	223341	पश्चिम
21	जामनगर (एम कॉर्प.+ओजी)	जामनगर	गुजरात	498344	पश्चिम
22	भावनगर (एम	भावनगर	गुजरात	517708	पश्चिम

	कॉर्प.+ओजी)				
23	अंबाला (एम सी1)	अंबाला	हरियाणा	139279	पश्चिम
24	पनवेल (एम सी1)	रायगढ	महाराष्ट्र	104058	पश्चिम
25	बरशी (एम सी1)	सोलापुर	महाराष्ट्र	104785	पश्चिम
26	अचलपुर (एम सी1)	अमरावती	महाराष्ट्र	107316	पश्चिम
27	सतारा (एम सी1)	सतारा	महाराष्ट्र	108048	पश्चिम
28	वर्धा (एम सी1)	वर्धा	महाराष्ट्र	111118	पश्चिम
29	नावघर-मानिकपुर (एम सी1)	थाणे	महाराष्ट्र	116723	पश्चिम
30	विरार (एम सी1)	थाणे	महाराष्ट्र	118928	पश्चिम
31	यवतमाल (एम सी1)	यवतमाल	महाराष्ट्र	120676	पश्चिम
32	गोंडिया (एम सी1)	गोंडिया *	महाराष्ट्र	120902	पश्चिम
33	बिद (एम सी1)	बिद	महाराष्ट्र	138196	पश्चिम
34	भुसावल (एम सी1)	जलगांव	महाराष्ट्र	172372	पश्चिम
35	नालासोपारा (एम सी1)	थाणे	महाराष्ट्र	184538	पश्चिम
36	अम्बरनाथ (एम सी1)	थाणे	महाराष्ट्र	203804	पश्चिम
37	जालना (एम सी1)	जालना	महाराष्ट्र	235795	पश्चिम
38	इचलकरंजी (एम सी1)	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	257610	पश्चिम
39	परभनी (एम सी1)	परभनी	महाराष्ट्र	259329	पश्चिम
40	चंद्रपुर (एम सी1)	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	289450	पश्चिम
41	लातूर (एम सी1)	लातूर	महाराष्ट्र	299985	पश्चिम
42	अहमदनगर (एम सी1)	अहमदनगर	महाराष्ट्र	307615	पश्चिम
43	धुले (एम सी1)	धुले	महाराष्ट्र	341755	पश्चिम
44	जलगांव (एम सी1)	जलगांव	महाराष्ट्र	368618	पश्चिम
45	अकोला (एम सी1)	अकोला	महाराष्ट्र	400520	पश्चिम
46	मालेगांव (एम सी1)	नासिक	महाराष्ट्र	409403	पश्चिम
47	नांदेड़-वाघला (एम कॉर्प.)	नांदेड़	महाराष्ट्र	430733	पश्चिम
48	सांगली-मिरज कुपवाड़ (एम कॉर्प.)	सांगली	महाराष्ट्र	436781	पश्चिम
49	उल्हासनगर (एम कॉर्प.)	थाणे	महाराष्ट्र	473731	पश्चिम
50	कोल्हापुर (एम कॉर्प.)	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	493167	पश्चिम
51	मीरा-भायंदर (एम सी1)	थाणे	महाराष्ट्र	520388	पश्चिम
52	अमरावती (एम कॉर्प.)	अमरावती	महाराष्ट्र	549510	पश्चिम

53	भिवंडी (एम सी1)	थाणे	महाराष्ट्र	598741	पश्चिम
54	नवी मुंबई (एम कॉर्प.)	थाणे	महाराष्ट्र	704002	पश्चिम
55	सोलापुर (एम कॉर्प.)	सोलापुर	महाराष्ट्र	872478	पश्चिम
56	औरंगाबाद (एम कॉर्प.)	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	873311	पश्चिम
57	झुंझुनूं (एम)	झुंझुनूं	राजस्थान	100485	पश्चिम
58	चुरू (एम+ओजी)	चुरू	राजस्थान	101874	पश्चिम
59	सवाई माधोपुर (एम+ओजी)	सवाई माधोपुर	राजस्थान	101997	पश्चिम
60	किशनगढ़ (एम)	अजमेर	राजस्थान	116222	पश्चिम
61	ब्यावर (एम सी1+ओजी)	अजमेर	राजस्थान	125981	पश्चिम
62	हनुमानगढ़ (एम)	हनुमानगढ *	राजस्थान	129556	पश्चिम
63	टोंक (एम सीआई)	टोंक	राजस्थान	135689	पश्चिम
64	सीकर (एम सी1+ओजी)	सीकर	राजस्थान	185925	पश्चिम
65	पाली (एमसी1)	पाली	राजस्थान	187641	पश्चिम
66	भरतपुर (एम सी1+ओजी)	भरतपुर	राजस्थान	205235	पश्चिम
67	गंगानगर (एम सी1+ओजी)	गंगानगर	राजस्थान	222858	पश्चिम
68	अलवर (एम सी1+ओजी)	अलवर	राजस्थान	266203	पश्चिम
69	भीलवाड़ा (एमसी1)	भीलवाड़ा	राजस्थान	280128	पश्चिम
70	उदयपुर (एम सीआई)	उदयपुर	राजस्थान	389438	पश्चिम
71	अजमेर (एम सी1)	अजमेर	राजस्थान	485575	पश्चिम
72	बीकानेर (एम सीआई)	बीकानेर	राजस्थान	529690	पश्चिम
73	कोटा (एम कॉर्प.)	कोटा	राजस्थान	694316	पश्चिम
74	जोधपुर (एम कॉर्प.+ओजी)	जोधपुर	राजस्थान	860818	पश्चिम
	पश्चिम अन्य वर्ग I के शहर (1,00,000 से अधिक 1000,000 तक जनसंख्या वाले) +				